بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

इख़्तियारे मुस्तफ़ा

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम

मुसन्निफ़

फ़ाज़िले उलूमं मशरिक़िया,

हज़रत अलहाज मौलाना हाफ़िज़ क़ारी डॉक्टर

मुहम्मद अब्दुल अलीम रज़वी (एम.ए.पी.एच डी.)

नायब शैख़ुल हदीस दारुल उलूम नूरी,

इन्दौर

तमाम भाईयो को सलाम किताबे
स्केन करके पीडिएफ में आप
तक पहुँचाने के लिए इस
फक़ीर को अपनी दुआओ में
खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालिब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

जुम्ला हुक़ूक़ ब हक़्क़े नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब	:	इख़्तियारे मुस्तफ़ा ﷺ
नाम मुअल्लिफ़	:	मौलाना मुहम्मद अब्दुल अलीम रज़वी
कम्पोज़िंग	:	रज़वी कम्प्यूटर, इन्दौर
कम्प्यूटर ऑप्रेटर	:	नज़ाफ़त हुसैन (सोहेल)
प्रुफ़ रीडिंग	:	हाफ़िज़ शौकत हुसैन क़ादरी
तबाअत	:	बारे अव्वल, फ़रवरी 2014 ई.
तादाद	:	1000
हस्बे फ़रमाइश	:	इस्लामुद्दीन क़ादरी (जानशीन अबरार बाबा)
नाशिर	:	मो. मोहियुद्दीन इब्ने अबरारुद्दीन साहब 22, भिश्ती मोहल्ला, सदर बाज़ार, इन्दौर
क़ीमत	:	बराए ईसाले सवाब

पाँचों नमाज़ों के बाद

आयतुल कुर्सी एक बार, मरते ही दाख़िले जन्नत हो।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ط

(3-3 बार) गुनाह मुआफ़ हों, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हों

तस्बीह हज़रत सैयिदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा

(34 बार) اَللهُ اَكْبَرُ | (33 बार) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ | (33 बार) سُبْحَانَ اللهِ

आख़िर में एक बार

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

उस दिन तमाम जहान में किसी का अमल उसके बराबर बलंद न किया जायेगा, मगर जो उसके मिस्ल पढ़े।

पैशानी पर दाहिना हाथ रखकर पढ़ें। हर ग़म व परेशानी से नजात होगी

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ ط وَعَنْ اَهْلِ السُّنَّةِ ط

पंज गंज क़ादरिया : बरकात बेशुमार हैं (शजरए क़ादरिया, रज़विया देखें)

(अल वज़ीफ़तुल करीमा)

फ़हरिस्ते मज़ामीन

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

दुआइया कलिमात

पास्बाने क़ौमो मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ़्ती **मुहम्मद हबीब यार ख़ान** साहेब क़िब्ला क़ादरी मुफ़्तिये मालवा व सद्रो मोहतमिम दारुल उलूम नूरी, इन्दौर (म.प्र.)

बि हम्दिही तआला व बिकरमि हबीबिहिल अअ्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम O

फ़ाज़िले उलूम मशरिक़िया, हज़रत अलहाज मौलाना हाफ़िज़ क़ारी डॉक्टर मुहम्मद अब्दुल अलीम साहेब रज़वी, एम.ए.पी.एच डी. ने आयाते क़ुरआनिया और अहादीसे नबविया से नबिय्ये करीम रऊफ़ो रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख़्तियारात, मोजिज़ातो कमालात को बेहतरीन अन्दाज़ में पेश फ़रमाकर ख़ुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों के ईमान में जिला पैदा फ़रमा दी है। सुब्हानल्लाह ! इख़्तियारे मुस्तफ़ा अलैहित्तहिय्यतो वस्सना क़ुरआनो अहादीस से साबित व ज़ाहिर हैं, इससे इनकार नहीं करेगा मगर मुनाफ़िक़ व मुआनिद और शप्परा चश्म यानी चिमगादड़ सिफ़त आदमी नहीं बल्कि जानवर से बदतर।

इख़्तियारे नुबुव्वत का दम देखिये
चाँद सूरज इशारों पे चलने लगे

मौला तआला मौलानल मोहतरम की इस क़ल्मी काविश को क़ुबूल फ़रमा कर इनके क़लम को रवां दवां फ़रमा दे। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल करीम अलैहित्तहिय्यतु वत्तस्लीम O

ख़ुलूस केश

मोहम्मद हबीब यार ख़ान क़ादरी ग़ुफ़िरालहु
मुफ़्तिये मालवा व ख़तीब जामा मस्जिद शहर इन्दौर
23 रबीउल आख़िर, 1435 हि.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

पैशे लफ़्ज़

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِہٖ سَیِّدِ الْاَنَامِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہِ الْکِرَامِ وَاَوْلِیَاءِ اُمَّتِہٖ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِہٖ ذَوِی الْاِحْتِرَامِ۔ اَمَّا بَعْدُ

अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा है कि अंबिया व मुरसलीन और औलियाए कामिलीन, अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़ात पर तसर्रुफ़ व इख़्तियार अता फ़रमाया है। ख़ुसूसन हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कायनात की हर शै (चीज़) का मालिको मुख़्तार बनाया है। और यह अक़ीदा क़ुरआने मुबीन, अहादीसे सय्यिदुल मुरसलीन, आसारे सहाबा व ताबिईन, अक़वाले अइम्मए दीन व उलमाए मुर्शिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से साबित है।

यहाँ हम क़ुरआनी आयात और उनसे मुतअल्लिक़ तफ़सीरात, हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात और मुहद्दिसीने किराम की तशरीहात पेश करेंगे ताकि अवामे अहले सुन्नत इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। (फ़ायदा हासिल कर सकें) وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَکَّلْتُ وَاِلَیْہِ اُنِیْبُ ○

सबबे तालीफ़ : तक़रीबन एक माह क़ब्ल अपने बिरादरे निस्बती जनाब अबरारुद्दीन साहेब मरहूम के दौलत कदह पर हाज़िर था कि उनके बच्चों ख़ुसूसन इनके बड़े शाहज़ादे अज़ीज़े गिरामी इस्लामुद्दीन सल्लमहु ने ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि वालिदे गिरामी की तीसरी बर्सी के मौक़े पर उनके ईसाले सवाब के लिये कोई किताब तक़सीम की जाए

और राक़िमुल हुरूफ़ से इसरार किया कि आप ही हुज़ूर नबिये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ो इख़्तियार से मुतअल्लिक़ मज़मून लिख दें उसे छपवा लिया जाएगा। फ़क़ीरे क़ादरी ने अल्लाहो रसूल पर भरोसा, बड़ों की फ़रमाइश और छोटों की ख़्वाहिश का एहतिराम करते हुए क़लम उठाया। अलहम्दु लिल्लाह आयातो अहादीसे तैय्यिबा का यह गुलदस्ता, बनाम इख़्तियारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके हाथों में है। मौला तआला इसे क़ुबूल फ़रमाए और मुझ ख़ताकार इसयां शिआर की मग़फ़िरत फ़रमाए। बरोज़े हश्र शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन।

अबरार भाई एक नज़र में

मरहूम अबरारुद्दीन साहेब (अबरार बाबा) सोमो सलात के पाबन्द, बुज़ुर्गों के अक़ीदत मन्द, मरन्जां मरन्ज और दीनदार इन्सान थे, दीनी जल्सों और उर्स की मेहफ़िलों में हमेशा नज़र आते, अपनों और बेगानों के दु ख सुख में पेश पेश रहते, रिश्तेदारों और क़राबत दारों की तक़रीबात में शिरकत करते, ग़रीबों की हमदर्दी उनका इम्तियाज़ और साफ़ गोई उनकी पहचान थी। वह छोटे बड़े सबके बाब साहब थे इसी लिये सब उनके आगे पीछे नज़र आते थे, नोनिहालाने अहले सुन्नत की इब्तिदाई तालीमो तरबियत के लिये घर में ही मदरसा तालीमुल क़ुरआन के नाम से एक मकतब क़ाइम कर लिया था जिसमें सुब्हो शाम, रात दिन हमा वक़्त बच्चों के दरमियान घिरे रहते, घर वालों के इसरार पर उन्होंने बच्चों पर माहाना फ़ीस मुक़र्रर तो कर दी लेकिन रक़म की वसूली के लिये बच्चों पर कभी ज़ोर नहीं दिया।

वह आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी

बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। रब्बे क़दीर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें अता फ़रमाए, उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके साहेबज़ादगान और अहले ख़ानदान को दारैन की नेअ़मतों से मालामाल फ़रमाए, इस किताब को फ़क़ीर राक़िमुल हुरूफ़ के लिये ज़रीअए नजात बनाए। आमीन।

इस मौक़े पर सय्यिदिल करीम उस्ताज़े गिरामी पास्बाने क़ौमो मिल्लत नाशिरे मस्लके आला हज़रत ख़लीफ़ए ताजदारे अहले सुन्नत, वस्ते हिन्द यानी मध्य प्रदेश के क़ाज़िये शरीअत हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद हबीब यार ख़ान साहब क़ादरी मुफ़्तिये मालवा व सद्रो मोहतमिम मरकज़े अहले सुन्नत दारुल उलूम नूरी इन्दौर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने शदीद अलालत व नक़ात के बावुजूद अज़ इब्तिदा का इन्तिहा मुकम्मल मज़मून पढ़कर इस्लाह फ़रमाई, ख़ालिक़े कायनात जल्ला मजदुहू अपने हबीब मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े हज़रत का सायए बलन्द पाया अहले सुन्नत व जमाअत के सरों पर ता देर क़ायम रखे। आमीन। बिजाही हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अलैहित्तहिय्यतु वत्तस्लीम 0

गदाए मुफ़्तिये आज़मे हिन्द
मुहम्मद अब्दुल अलीम रज़वी
21 रबीउल ग़ौस 1435 हि.
मुताबिक़ 22 फ़रवरी 2014 ई.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

इख़्तियारे मुस्तफ़ा

आयाते कुरआनिया की रौशनी में

आयत नं. 1 : يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ○
(सूरए निसाअ, आयत नं. 59)

ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। (कन्ज़ुल ईमान)

साहिबे तफ़सीरे ख़ाज़िन अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम बग़दादी अलैहि रहमतो रब्बिहिल बारी फ़रमाते हैं :

यानी अल्लाह की इताअत यह है कि उसने जिस बात का हुक्म दिया है उसे मान ले और अल्लाह की इताअत तमाम मख़लूक़ पर वाजिब है। यूँ ही उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत भी वाजिब है। क्योंकि अल्लाह फ़रमाता है हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। तो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत मख़लूक़ पर लाज़िम फ़रमा दी। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, जि. अव्वल, स. 392)

फिर अल्लामा मौसूफ़ अपनी इस तफ़सीर की ताईद में यह हदीसे पाक पेश करते हैं।

तर्जमा : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ही की इताअत की और जिसने मेरी ना फ़रमानी की उसने अल्लाह की ना फ़रमानी की और जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने अमीर की ना फ़रमानी की उसने मेरी ना फ़रमानी की। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, स. 392, 393/1, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 338, 362, 419, 511, 615/2)

इस आयते करीमा से ब ख़ूबी वाज़ेह हो गया कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह ही की इताअत है और आपकी ना फ़रमानी अल्लाह की ना फ़रमानी है और इससे यह भी ज़ाहिर हो गया कि हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख़्तारे कायनात हैं क्योंकि इताअत साहिबे इख़्तियार ही की की जाएगी, बे इख़्तियार क़ाबिले इताअत नहीं होता।

आयत नं. 2 : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ (सूरए निसाअ, आयत नं. 65)

तर्जमा : तो ऐ महबूब ! तुम्हारे रब की क़सम वह मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फ़रमा दो अपने दिलो में उससे रुकावट न पाएं और जी से मान लें। (कन्ज़ुल ईमान)

इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम इब्ने अबी हातिम और इमाम इब्ने मरदुविया के हवाले से लिखते हैं :

यानी हज़रत अबुल असवद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि दो आदमियों ने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में अपना मुक़दमा पेश किया तो आपने उनके दरमियान फ़ैसला फ़रमा दिया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था उसने कहा आप हमें हज़रत उमर के पास भेज दें। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ठीक है तुम दोनों उमर के पास चले जाओ। जब वह दोनों हज़रत उमर के पास आए तो (वह शख़्स जिसके हक़ में हुज़ूर ने फ़ैसला फ़रमाया था) उसने कहा, ऐ इब्ने ख़त्ताब ! रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में फ़ैसला फ़रमा दिया है, मगर इसने कहा हमें उमर के पास भेज दें, तो हुज़ूर ने हमें आपके पास भेज दिया। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख़्स से पूछा क्या यह ठीक कह रहे हैं, उसने कहा हाँ यह ठीक कह रहे हैं। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया

तुम दोनों यहीं ठहरो मैं अभी आकर तुम्हारा फ़ैसला किये देता हूँ, फिर हज़रत उमर उनके पास तलवार लेकर आए और हुज़ूर का फ़ैसला क़ुबूल न करने वाले की गरदन मार दी।

(तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर, जि. दुवम, स. 322)

इससे मालूम हुआ कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने आली यह है कि आपके हर फ़ैसले को बे चूनो चरा क़ुबूल किया जाए। आपके किसी फ़ैसले को न मानने वाला या उसमें चूं चरा करने वाला इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल ने बता दिया कि हुज़ूर के फ़ैसले को न मानने वाला मुसलमान नहीं है, इसी लिये आपने उस शख़्स की गरदन मार दी।

साहिबे तफ़्सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं : इस आयते करीमा के मअ़ना यह हैं कि जब तक आपके फ़ैसले और हुक्म को सिद्क़ दिल से न मान लें, मुसलमान नहीं हो सकते। (तफ़्सीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, स. 141)

और साहिबे तफ़्सीर नूरुल इरफ़ान हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं : इससे चन्द मस्अले मालूम हुए (1) एक यह कि हुज़ूर के फ़ैसले हमारे लिये बरहक़ वाजिबुल अमल हैं। (2) दूसरे यह कि हुज़ूर के फ़ैसले पर ज़बाने एतिराज़ करना या न मानना कुफ़्रो इरतिदाद है। (3) तीसरे यह कि अगर कोई मजबूरन हुज़ूर का फ़ैसला मान तो ले, मगर दिल से राज़ी न हो वह भी काफ़िर है। (4) चौथे यह कि मुतलक़ अम्र वुजूब के लिये होता है। (तफ़्सीर नूरुल इरफ़ान, स. 139)

इससे यह भी मालूम हो गया कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने हर चीज़ का मालिको मुख़्तार बनाया है और आप अपने रब की अता से साहिबे इख़्तियार हैं, क्यों कि अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि जब तक आपका फ़ैसला न मान लें वह मुसलमान नहीं। क्या किसी बे

इख़्तियार को यह इख़्तियार दिया जाता है ?

आयत नं. 3 : مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○

(सूरह निसाअ आयत नं. 80)

तर्जमा : जिसने रसूल का हुक्म माना बे शक उसने अल्लाह का हुक्म माना और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजा। (कन्ज़ुल ईमान)

इस आयते करीमा का सबबे नुज़ूल बयान करते हुए साहिबे तफ़्सीरे ख़ाज़िन लिखते हैं :

यानी इस आयते करीमा का सबबे नुज़ूल यह है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने मेरी इताअत की तो बेशक उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मुझसे महब्बत की तो बेशक उसने अल्लाह से महब्बत की। इस पर बाज़ मुनाफ़िक़ीन बोले कि यह आदमी तो यही चाहता है कि जिस तरह नसारा ने ईसा इब्ने मरयम को रब बना लिया उसी तरह हम भी इसे रब बना लें। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़रमाई कि जिसने रसूल के हुक्म देने और मना करने में उनकी इताअत की तो उसने मेरी इताअत की। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत हक़ीक़तन अल्लाह ही की इताअत है। और इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह ने अपने रसूल की इताअत को अपनी इताअत फ़रमाया। इससे मुसलमानों पर दलील क़ाइम हो गई।

और इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि वह तमाम फ़राइज़ जिनको अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़र्ज़ फ़रमाया है जैसे हज, नमाज़ और ज़कात। तो अगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके मुतअ़ल्लिक़ वज़ाहत न फ़रमाते तो हमें इनके अदा करने का तरीक़ा ही मालूम न होता और न हम कोई इबादत कर पाते। और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने बलन्द मरतबे पर

फ़ाइज़ हैं तो उनकी इताअत हक़ीक़तन अल्लाह ही की इताअत होगी। (तफ़्सीरे ख़ाज़िन, स. 400/1)

इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम इब्ने मुन्ज़िर और ख़तीब के हवाले से लिखते हैं :

यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है , उनका बयान है कि हम सहाबा की एक जमाअत में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे, तब आपने फ़रमाया क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ़ लाया। सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं (यानी हम यक़ीनन जानते हैं कि आप हमारी तरफ़ अल्लाह के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए) फिर फ़रमाया क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला ने अपनी किताबे मुक़द्दस में यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया है कि जिसने मेरी इताअत की तो यक़ीनन उसने अल्लाह की इताअत की। सहाबा ने अर्ज़ किया क्यों नहीं। हम गवाही देते हैं कि बेशक जिसने आपकी इताअत की उसने यक़ीनन अल्लाह की इताअत की और अल्लाह की इताअत आपकी इताअत है। तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह की इताअत यह है कि तुम मेरी इताअत करो और मेरी इताअत यह है कि तुम अपने अइम्मा की इताअत करो। (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर, स. 331/2)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयते करीमा की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं : रब तबारक व तआला (इस आयते पाक और इस जैसी दूसरी आयतों में) नबी का हुक्म बिऐनिही अपना हुक्म और नबी की इताअत बिऐनिही अपनी इताअत बताता है तो तमाम अहकाम कि अहादीस में इरशाद हुए सब क़ुरआने अज़ीम से साबित हैं। जो अख़्लाक़ी हुक्म हदीस में है, किताबुल्लाह उससे हरगिज़ ख़ाली नहीं अगरचेह बज़ाहिर तसरीहे जुज़इय्या हमारी नज़र में न हो। (फ़तावा रज़वियह मुतरजम, जि. नं. 22, स. 628)

इस आयते करीमा से ख़ूब वाज़ेह हो गया कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत व

फ़रमां बरदारी को अपनी इताअत व फ़रमां बरदारी क़रार दिया है तो जो शख़्स उसके महबूब की इताअत नहीं करता वह अपने ख़ालिक़ो मालिक की इताअत से गुरेज़ाँ (मुँह मोड़े हुए) है और जो उसकी इताअत से गुरेज़ाँ हो (मुँह मोड़ ले) उसका दोनों जहाँ में कहीं ठिकाना नहीं और इससे आपका मालिको मुख़्तार होना भी साबित है।

आयत नं. 4 : وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ (सूरह मायदह, आयत नं. 92)

तर्जमा : और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और होशियार हो फिर अगर तुम फिर जाओ तो जान लो कि हमारे रसूल का ज़िम्मा सिर्फ़ वाज़ेह तौर पर हुक्म पहुँचा देना है। (कन्ज़ुल ईमान)

साहिबे तफ़्सीरे ख़ाज़िन लिखते हैं :

यानी अल्लाह तआला का इरशादे पाक : وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ के मअ़्ना यह हैं कि अल्लाह व रसूल तुम्हें जिन बातों का हुक्म दें और जिन बातों से मना फ़रमाएं उन बातों में तुम अल्लाहो रसूल जल्ला जलालुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और अम्रो नहीं में अल्लाहो रसूल की मुख़ालफ़त करने से बचो अगर तुम ने अल्लाहो रसूल के अम्र व नही से मुंह मोड़ा तो जान लो कि हमारे रसूल का ज़िम्मा सिर्फ़ वाज़ेह तौर पर हुक्म पहुँचा देना है। और यह वईद व तहदीद है अल्लाह व रसूल के अम्र व नही से एराज़ करने वालों के लिये। गोया कि अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया कि तुम इन्कार करने और मुंह मोड़ने के सबब अज़ाब के मुस्तहिक़ हो गए। (तफ़्सीरे ख़ाज़िन, जि. 2, स. 76)

तफ़सीर नूरुल इरफ़ान में है : अल्लाह की इताअत सिर्फ़ उसके अहकाम में है, रसूल की इताअत क़ौली अहकाम में भी है और अमली सुन्नतों में भी कि जिसका हुक्म दें वह फ़र्ज़ या वाजिब है जो हमेशा अमल करें वह सुन्नते मुअक्कदह। इससे (यह भी) मालूम हुआ कि लोगों के न मानने से हुज़ूर पुर नूर पर कोई असर नहीं पड़ता। सूरज के इनकार से उसकी रोशनी में कमी नहीं आ जाती, क्योंकि

उन पर तब्लीग़ लाज़िम थी जो उन्होंने बदरजए अतम फ़रमा दी। हम उनके हाजत मन्द हैं वह हमारे हाजत मन्द नहीं।

(तफ़सीर नूरुल इरफ़ान, स. 195)

इस आयते करीमा में ख़ालिक़े कायनात जल्ला मजदुहू ने अपने रसूल के हुक्म की मुख़ालफ़त करने वालों के लिये अज़ाब का ख़ौफ़ दिलाया है, तो मालूम हुआ कि जो रसूले अकरम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हुक्म की मुख़ालफ़त करे वह मुसलमान नहीं और जो मुसलमान है वह अल्लाहो रसूल के हुक्म से हरगिज़ एराज़ नहीं करेगा (मुँह नहीं फेरेगा) इससे यह भी साबित हुआ कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख़्तारे कायनात हैं

आयत नं. 5 : يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ○

(सूरतुल अअराफ़, आयत नं. 157)

तर्जमा : वह उन्हें भलाई का हुक्म देगा और बुराई से मना फ़रमाएगा और सुथरी चीज़ें उनके लिये हलाल फ़रमाएगा और गन्दी चीज़ें उन्हें हराम फ़रमाएगा और उन पर से वह बोझ और गले के फन्दे जो उन पर थे उतारेगा। (कन्जुल ईमान)

अल्लामा ख़ाज़िन इस आयते करीमा की तफ़सीर में फ़रमाते हैं :

यानी अल्लाह तआला के इरशाद, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ के मअ़ना यह हैं कि वह अल्लाह पर ईमान लाने और उसकी वहदानियत का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे यानी अल्लाह के साथ शिर्क करने से मना करेंगे और जो पाकीज़ा चीज़ें उन पर तौरेत में हराम थीं उन्हें यह नबी अपनी उम्मत पर हलाल फ़रमाएंगे जैसे ऊंट का गोश्त और बकरी, भेड़ और गाय की चरबी। (यह चीज़े बनी इस्राईल (यहूदियों) पर हराम थीं, मगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मते मुहम्मदिया पर हलाल फ़रमा दीं) और उन पर गन्दी चीज़ें हराम फ़रमाईं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं, इससे मुराद मुरदार, ख़ून और ख़िन्ज़ीर का गोश्त है और कहा गया

है कि इससे मुराद वह तमाम चीज़ें हैं जिनसे तबीअत घिन करे और नफ़्स ना पसन्द करे। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, जि. 2, स. 258)

हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अहमद यार ख़ान साहब नईमी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं, यानी जो हलाल व तैय्यिब चीज़ें बनी इस्राईल पर उनकी ना फ़रमानी की वजह से हराम हो गई थीं वह नबिय्ये आख़िरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन्हें हलाल फ़रमा देंगे और ख़बीस व गन्दी चीज़ों को हराम फ़रमाऐंगे। ख़याल रहे कि ख़ुदा ने सिर्फ़ चन्द चीज़ों को हराम फ़रमाया सुअर, मुरदार वग़ैरह, बाक़ी तमाम ख़बाइस हुज़ूर ने हराम फ़रमाए। कुत्ता, बिल्ली वग़ैरह। (और) वह रसूल उन ख़बीस व गन्दी चीज़ों को हराम करेंगे जिनमें से बाज़ पिछली शरीअतों में हलाल थीं जैसे शराब वग़ैरह। मालूम हुआ कि रब ने हुज़ूर को हराम व हलाल फ़रमाने का इख़्तियार दिया है। यहाँ हराम फ़रमाने वाला हुज़ूर को क़रार दिया। (तफ़सीर नूरुल इरफ़ान, स. 270)

इस आयते करीमा और तफ़सीरी इबारात से पूरी तरफ़ ज़ाहिर हो गया कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तशरीई इख़्तियारात हासिल हैं कि जिन चीज़ों को चाहें अपनी उम्मत पर हलाल फ़रमा दें और जिन चीज़ों को चाहें हराम फ़रमा दें।

आयत नं. 6 : وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ○

(सूरए अनफ़ाल, आयत 17)

तर्जमा : और ऐ महबूब वह ख़ाक जो तुमने फेंकी, वह तुमने न फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। (कन्जुल ईमान)

तफ़सीरे कबीर में है। तर्जमा, हज़रत मुजाहिद ने फ़रमाया कि यौमे बद्र के बारे में सहाबा में मुख़्तलिफ़ राएं हो गईं, तो कोई कहता मैंने फ़लां को मारा तो दूसरा कहता मैंने फ़लां काफ़िर को क़त्ल किया तो अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा नाज़िल फ़रमाई जिसमें इरशाद हुआ कि तुम इस फ़तहो नुसरत को अपने क़ुव्वते बाज़ू का नतीजा न समझो, यह तो अल्लाह तआला की मदद से हासिल हुई है। रिवायत में है कि (हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

सहाबा के साथ तशरीफ़ फ़रमा थे कि) आपने लश्करे कुरैश को देखकर फ़रमाया ऐ अल्लाह यह कुरैश अपने सवारों और बहादुरों के साथ आ रहे हैं, यह तेरे रसूल को झुटलाते हैं। ऐ अल्लाह तूने जिस मदद का जिस मदद का वादा फ़रमाया था वही मदद हमें अता फ़रमा उस वक़्त हज़रत जिब्रईल ने हाज़िरे बारगाह होकर अर्ज़ किया कि आप एक मुट्ठी मिट्टी ले लें। तो जब दोनों फ़ोजें मुक़ाबले पर आईं, हुज़ूर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया मुझे एक मुट्ठी कंकरीली मिट्टी दे दो। फिर आपने उस मिट्टी को कुफ़्फ़ार की तरफ़ फेंक कर फ़रमाया शाहतिल वुजूह चेहरे बिगड़ जाएं। (आपकी फेंकी हुई मिट्टी) तमाम मुश्रेकीन की आँखों में पहुँच गई और वह आँख मलते रहे इस तरह वह हार गए। (तफ़सीरि कबीर, स. 466/5)

तफ़सीर नूरुल इरफ़ान में है। इससे मालूम हुआ कि महबूबों का फ़ेल रब का फ़ेल होता है और मोमिन ख़ुदाई ताक़त से काम करता है कि उसके हाथ पांव में रब की ताक़त होती है।

(तफ़सीर नूरुल इरफ़ान, स. 284)

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो ताक़तो कुव्वत अता फ़रमाई है कायनात में किसी को हासिल नहीं। ख़याल करें कि एक मुट्ठी मिट्टी वहां मौजूद सारे कुफ़्फ़ारो मुश्रिकीन की आँख में पहुँच गई यह यक़ीनन इख़्तियारे मुस्तफ़ा की खुली दलील है।

आयत नं. 7 : وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

(सूरए तौबह, आयत नं. 74)

तर्जमा : और उन्हें क्या बुरा लगा यही ना कि अल्लाहो रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर दिया। (कन्ज़ुल ईमान)

इस आयते करीमा की तफ़्सीर में मुफ़्ती अहमद यार ख़ां नईमी अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं इससे चन्द मस्अले मालूम हुए (1) एक यह कि हुज़ूर ऐसे ग़नी हैं कि दूसरों को भी ग़नी कर देते हैं जो उन्हें फ़क़ीर कहे वह बे अदब और बद नसीब है अगर तौहीन की नियत से कहे तो काफ़िर है रब फ़रमाता है : وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى (सूरतुद्दुहा आयत नं. 8)

रब उन्हें ग़नी कर चुका। (2) दूसरे यह कि किसी का अल्लाहो रसूल पर कुछ हक़ नहीं उन्होंने जिसे जो दिया अपने फ़ज़्ल से दिया रब की मख़लूक़ उनके दर की भिकारी है। (3) तीसरे यह कि यह कहना जाइज़ है कि अल्लाह व रसूल नेअ़मतें देते हैं। (4) चौथे यह कि बेईमान अल्लाहो रसूल की नेअ़मतें पाकर सरकश हो जाते हैं।

(तफ़सीर नूरुल इरफ़ान, स. 316)

और अल्लामा करम शाह अज़हरी लिखते हैं : उन एहसान फ़रामोशों को देखो कि क़र्ज़ों के बोझ तले दबे जा रहे थे, खाने तक को मयस्सर नहीं था, मेरा रसूल मदीने में तशरीफ़ फ़रमा हुआ तो उसकी बरकत से कारोबार में बरकत हुई, खेतियों में अनाज पैदा होने लगा, माले ग़नीमत में उनको भी हिस्सा मिलता रहा, अब जब माली हालत अच्छी हो गई तो बजाए इसके कि अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें जिन नवाज़िशात से मालामाल फ़रमाया उसका शुक्रिया अदा करते, उल्टा मुख़ालफ़त पर आमदा हैं। यह बि ऐनिही इस तरह है जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि मेरा इसके सिवा और क्या कुसूर है कि मैंने इसे मुसीबत से नजात दिलाई।

(तफ़सीर ज़ियाउल कुरआन, स. 234/2)

इससे यह बात रोज़े रौशन की तरह ज़ाहिर है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़नी व साहिबे फ़ज़्ल हैं और ऐसे ग़नी हैं कि अपने फ़ज़्ल से दूसरों को ग़नी फ़रमा रहे हैं और ग़नी व साहिबे फ़ज़्ल यक़ीनन बा इख़्तियार होता है।

आयत नं. 8 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (सूरए अहज़ाब, आयत नं. 36)

तर्जमा : और न किसी मुसलमान मर्द न मुसलमान औरत को पहुँचता है कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख़्तियार है और जो हुक्म न माने अल्लाह और रसूल का वह बेशक सरीह गुमराही में बेहका। (कन्ज़ुल ईमान)

अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम बग़दादी फ़रमाते हैं : यानी यह आयते मुक़द्दसा हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश,

उनके भाई अब्दुल्लाह बिन जहश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी उमय्यह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के मुतअल्लिक़ नाज़िल हुई और यह वाक़िआ इस तरह है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश को अपने आज़ाद कर्दा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के लिये निकाह का पैग़ाम भेजा हुज़ूर ने हज़रत ज़ैद को ऐलाने नुबुव्वत से पहले बाज़ारे उक्काज़ से ख़रीद कर आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया था। जब हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब को निकाह का पैग़ाम दिया तो उन्होंने यह समझकर कि हुज़ूर अपने लिये पैग़ाम दे रहे हैं, यह पैग़ाम क़ुबूल कर लिया लेकिन जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हुज़ूर ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के लिये पैग़ाम दिया है तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा या रसूलल्लाह! मैं आपकी फूफी ज़ात बहन हूँ, अपने लिये इन्हें पसन्द नहीं करती, हज़रत ज़ैनब बहुत ख़ूबसूरत थीं और उनके मिज़ाज में तेज़ी भी थी। इसी तरह उनके भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश ने भी अपनी बहन के लिये यह रिश्ता ना पसन्द किया तब अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया कि किसी मोमिन यानी अब्दुल्लाह बिन जहश और किसी मोमिना यानी उनकी बहन ज़ैनब को, जब अल्लाह व रसूल किसी मुआमले यानी ज़ैनब के लिये ज़ैद के निकाह का हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमले यानी किये गए फ़ैसले पर कुछ इख़्तियार नहीं है। मअ़ना यह है कि वह अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करना चाहें और अल्लाहो रसूल ने जिस काम का हुक्म फ़रमाया है उससे मना कर दें तो जो हुक्म न माने अल्लाह व रसूल का बेशक वह सरीह गुमराही में बेहका। यानी उसने बिल्कुल ज़ाहिर ख़ता की।

जब हज़रत ज़ैनब और उनके भाई हज़रत अब्दुल्लाह ने यह हुक्म सुना तो इस रिश्ते को क़ुबूल कर लिया और अपना मुआमला हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया तो हुज़ूर ने उनका निकाह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से कर

दिया और हुज़ूर ने उनके महर में दस दीनार, साठ दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, पचास मुद (एक पैमाने का नाम है) खाना, तीस साअ़ (साअ़ का वज़न चार किलो नव्वे (4.90) ग्राम होता है) खजूरें अता फ़रमाईं। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, स. 426, 427/3)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयते करीमा की तफ़सीर में फ़रमाते हैं, ज़ाहिर है कि किसी औरत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ़ से फ़र्ज़ नहीं कि फ़लां से निकाह पर ख़ाही न ख़ाही राज़ी हो जाए ख़ुसूसन जब कि वह उसका कुफ़्व न हो ख़ुसूसन जब कि औरत की शराफ़ते ख़ानदान कवाकिबे सुरय्या (सुरैया सितारों) से भी बलन्दो बाला तर हो बई हमा (इन तमाम चीज़ों के बावुजूद) अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पयाम न मानने पर रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु ने बि ऐनिही वही अलफ़ाज़ इरशाद फ़रमाए जो किसी फ़र्ज़े इलाह के तर्क पर फ़रमाए जाते और रसूल के नामे पाक के साथ अपना नामे अक़दस भी शामिल फ़रमाया यानी रसूल जो बात तुम्हें फ़रमाएं वह अगर हमारा फ़र्ज़ न थीं तो अब उनके फ़रमाने से फ़र्ज़े क़तई हो गई मुसलमानो को उसके न मानने का असलन इख़्तियार न रहा, जो न मानेगा सरीह गुमराह हो जाएगा।

देखो रसूल के हुक्म देने से काम फ़र्ज़ हो जाता है अगरचेह फ़ी नफ़्सेही ख़ुदा का फ़र्ज़ न था एक मुबाह व जाइज़ अम्र था व लिहाज़ा अइम्मए दीन, ख़ुदा व रसूल के फ़र्ज़ में फ़र्क़ फ़रमाते हैं कि ख़ुदा का किया हुआ फ़र्ज़ उस फ़र्ज़ से अक़वाह है जिसे रसूल ने फ़र्ज़ किया। और अइम्मए मुहक़्क़िक़ीन तसरीह फ़रमाते हैं कि अहकामे शरीअत हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुपुर्द हैं जो बात चाहें वाजिब कर दें, जो चाहें नाजाइज़ फ़रमा दें, जिस चीज़ या जिस शख़्स को जिस हुक्म से चाहें मुस्तस्ना (अलग) कर दें। (अल अमनो वल उला, स. 171, 172)

आयत नं. 9 : اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ○

(सूरए फ़तह, आयत नं. 10)

तर्जमा : बैअत करते हैं वह तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। (कन्जुल ईमान)

तफ़्सीरि ख़ाज़िन में है यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग आपसे इस बात की बैअत कर रहे हैं कि वह जंग से भागेंगे नहीं (बल्कि दुश्मनों से लड़ते रहेंगे) वह हक़ीक़त अल्लाह से बैअत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जानें जन्नत के बदले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को बेच दीं। (तफ़्सीरि ख़ाज़िन, स. 156/4)

तफ़्सीरि मदारिक में है यानी इस आयते करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत को अल्लाह की बैअत फ़रमा कर इसमें ताकीद पैदा की गई है। फिर फ़रमाया (उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है) इसके मअ़ना यह हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक जो बैअत करने वालों के हाथों के ऊपर है वह हक़ीक़तन अल्लाह का हाथ है मगर चूँकि अल्लाह तआला जिस्म व जिस्मानियात से पाक है इस लिये ब तौरे वज़ाहत उसका इरादा यह है कि हुज़ूर के साथ अक़्दे मीसाक़ करना अल्लाह के साथ वादा करने के बराबर है जैसा कि उसका इरशाद है: مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ यानी जिसने रसूल की इताअत की उसने यक़ीनन अल्लाह की इताअत की (तफ़्सीरि मदारिक, स. 158/4, तफ़्सीरि कश्शाफ़ जिल्द चहारुम, स. 336, तफ़्सीरि अबुस्सऊद, स. 598/5)

तफ़्सीर नूरुल इरफ़ान में है इससे चन्द मस्अले मालूम हुए (1) एक यह कि तमाम सहाबा ख़ुसूसन बैअते रिज़्वान वाले बड़े ही शान वाले हैं, उनकी तादाद 1400 है (2) दूसरे यह कि हुज़ूर को वह क़ुर्बे इलाही हासिल है कि हुज़ूर से बैअत रब से बैअत है हुज़ूर का हाथ रब का हाथ है। (तफ़्सीर नूरुल इरफ़ान, स. 816)

इस आयते करीमा से ब ख़ूबी वाज़ेह हो रहा है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिको मुख़्तारो कायनात हैं क्योंकि आपके दस्ते पाक पर ख़ुदाई क़ुदरत जलवा फ़रमा है।

आयत नं. 10 : وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝ (सूरए हश्र, आयत नं.7)

तर्जमा : और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फ़रमाएं वह लो और जिससे मना फ़रमाएं बाज़ रहो और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह का अज़ाब सख़्त है। (कन्जुल ईमान)

तफ़्सीरि ख़ाज़िन में है : यानी यह आयते करीमा अगरचेह माले ग़नीमत के बारे में नाज़िल हुई है मगर यह उन तमाम चीज़ों के बारे में आम है, रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन के करने का हुक्म फ़रमाया और जिनसे मना किया ख़्वाह वह क़ौलो अमल हो या वाजिब हो या मन्दूबो मुस्तहब। (तफ़्सीरि ख़ाज़िन, स. 270/4, तफ़्सीरि कश्शाफ़, स. 402/4, तफ़्सीरि मदारिक, स. 240/4)

फिर अपनी इस तफ़्सीर की ताईद में बुख़ारी शरीफ़ की यह रिवायत नक़्ल फ़रमाई है :

यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि बदन गोदने वालियों, बदन गुदवाने वालियों, चेहरे के बाल नोचने वालियों, ख़ूबसूरती के लिये दांतों में खिड़कियाँ बनाने वालियों और अल्लाह की चीज़ों को बिगाड़ने वालियों पर अल्लाह की लअ़नत है। उम्मे याक़ूब नामी बनी असद की एक ख़ातून जिन्हें तिलावते क़ुरआने पाक से शग़फ़ था, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद के पास जाकर पूछा, कि आपने इन औरतों के बारे में ऐसा ऐसा कहा है, आपने फ़रमाया मैं ऐसे काम पर लअ़नत क्यों न करूँ जिस काम के करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लअ़नत फ़रमाई है और जिसका तज़किरा क़ुरआने पाक में भी है। वह ख़ातून बोलीं मैंने भी क़ुरआने पाक पढ़ा है मुझे तो उसमें यह हुक्म नहीं मिला। हज़रत इब्ने मस्ऊद ने फ़रमाया अगर तुमने क़ुरआने पाक ग़ौर से पढ़ा होता तो तुम्हें इसका बयान ज़रूर मिल जाता। फिर आपने फ़रमाया क्या तुमने यह आयते करीमा नहीं पढ़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़रमाता है और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फ़रमाएं वह लो और जिससे मना फ़रमाएं बाज़ रहो। वह बोलीं हां यह आयते करीमा तो पढ़ी है। तो आपने फ़रमाया बेशक हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों से मना फ़रमाया

है। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, स. 270/4, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 562/1, सही बुख़ारी, स. 879/2, सुनन तिर्मिज़ी, स. 102/2, सुनने अबी दाऊद, स. 218/2, सुनन नसाई, स. 292/2)

तफ़सीरे कश्शाफ़ में है : यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने एक शख़्स से मुलाक़ात की जो हालते एहराम में सिले हुए कपड़े पहने हुए था आपने फ़रमाया यह कपड़े उतारो तो उस शख़्स ने कहा इस सिलसिले में कोई क़ुरआनी आयत बताइये आपने कहा ठीक है फिर आपने यही आयते करीमा तिलावत फ़रमाई।

इसी तअल्लुक़ से एक और हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं जिस चीज़ से तुमको मना करूँ उससे बचो और जिस चीज़ का हुक्म दूँ उस पर अपनी ताक़त के मुताबिक़ अमल करो क्योंकि तुमसे पहली क़ौमों को ज़्यादा सवालात करने और अंबिया की ना फ़रमानी करने की वजह से हलाक कर दिया। (सही मुस्लिम, स. 262/2, सुनने कुबरा, लिल बैहक़ी, स. 215/1, तफ़सीरे कुरतबी, स. 262/5, तफ़सीर इब्ने कसीर, स. 166/8, फ़तहुल बारी, स. 261/13 मुशकिलुल आसार, स. 230/1)

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल इख़्तियारात अता फ़रमाए हैं कि जिस चीज़ को चाहें जाइज़ कर दें जिसे चाहें फ़र्ज़ फ़रमा दें और जिसे चाहें वाजिबो सुन्नत क़रार दे दें। जिसका चाहें हुक्म दे दें। और जिससे चाहें मना फ़रमा दें यह आपके इख़्तियार की बात है।

हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दों के आमाल हफ़्ते में दो मरतबा पेश किये जाते हैं तो हर बन्दे की मग़फ़िरत हो जाती है सिवा उस बन्दे के जो अपने किसी मुसलमान भाई से बुग़्ज़ो कीना रखता है उसके मुतअल्लिक़ हुक्म दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़े रहो यहाँ तक कि वह आपस की दुश्मनी को ख़त्म कर लें। (मुस्लिम शरीफ़ 317/2)

इख़्तियारे मुस्तफ़ा

अहादीसे तय्यिबा की रौशनी में

इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सय्यिदुना इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमतो वर्रिज़वान फ़रमाते हैं कि अहकामे इलाहिया की दो क़िस्में हैं।

अव्वल, तकवीनिय्यह : मिस्ल एहया (ज़िन्दा करना) इमातत (मौत देना) क़ज़ाए हाजत, दफ़ए मुसीबत, अताए दौलत, रिज़्क़, नेअ्मत, फ़तह और शिकस्त वग़ैरहा आलम के बन्दोबस्त

दुवम, तशरीइय्यह :- कि किसी फ़ेअ्ल को फ़र्ज़, या हराम या वाजिब या मकरूह या मुस्तहब या मुबाह करना। मुसलमानों के सच्चे दीन में इन दोनों हुक्मों की एक ही हालत है कि ग़ैरे ख़ुदा की तरफ़ बवजहे ज़ाती (ज़ाती तौर पर) अहकामे तशरीई की इस्नाद (निस्बत) भी शिर्क अल्लाह फ़रमाता है : اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۝ (सूरए शूरा, आयत नं. 21)

क्या उनके लिये ख़ुदा की उलूहियत में कुछ शरीक हैं जिन्होंने उनके वास्ते दीन में वह राहें निकाल दीं जिनका ख़ुदा ने हुक्म न दिया। और बर वजहे अताई (अताई तौर पर) उमूरे तक्वीन की इस्नाद भी शिर्क नहीं। अल्लाह फ़रमाता है : فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا
(सूरए नाज़िआत, आयत नं. 5)

क़सम उन मक़बूल बन्दों की जो कारोबारे आलम की तदबीर करते हैं

हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिसे देहलवी तोहफ़ए इस्ना अशरिय्यह में फ़रमाते हैं यानी हज़रत अली मुश्किल कुशा और उनकी औलादे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तमाम उम्मत अपने मुर्शिद जैसा समझती है और उमूरे तक्वीनिय्यह को उन से वाबस्ता जानती है और फ़ातिहा, दुरूद, सदक़ात और उनके नामों की नज़्र वग़ैरह देना राइजो मामूल है।

मगर कच्चे वहाबी इन दो क़िस्मों में फ़र्क़ करते हैं अगर कहिये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फ़र्ज़ की या फ़लां काम हराम कर दिया तो शिर्क का सोदा नहीं उछलता और अगर कहिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नेअ्मत दी या ग़नी कर दिया तो शिर्क सूझता है। यह उनका निरा तहक्कुम ही नहीं ख़ुद अपने मज़हबे ना मुहज़्ज़ब में कच्चा पन है जब ज़ाती व अताई का फ़र्क़ उठा दिया फिर अहकाम में फ़र्क़ कैसा सबका यकसां शिर्क होना लाज़िम। (अल अमनो वल उला, स. 170)

मदीना तैय्यिबा को हरम बनाया

हदीस नं. 1 तर्जमा : यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुज़ूर अर्ज़ किया इलाही ! मैं मदीनए तैय्यिबा के दोनों पहाड़ों के बीच को हरम बनाता हूँ, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया। (सही बुख़ारी, स. 816/2, सही मुस्लिम, स. 441/1, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, स. 195/3, अत्तरग़ीब वत्तरहीब, स. 229/2 कन्ज़ुल उम्माल स. 109/12, हदीस नं. 34867)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं : इस मतलब की हदीसें सिहाह, सुनन और मसानीद वग़ैरहा में ब कसरत हैं, जिनमें हुज़ूर सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ़ साफ़ हुक्म फ़रमा दिया कि मदीनए तैय्यिबा और उसके गिर्दो पेश के जंगल का वही अदब किया जाए जो मक्कए मुअज़्ज़मा और उसके जंगल का है। यही मज़हब अइम्मए मालिकिया व शाफ़इय्या व हंबलिया और ब कसरत सहाबा व ताबिईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का है।

हुज़ूर नेअ्मत देते हैं

हदीस नं. 2 : तर्जमा : यानी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, उनका बयान है कि मैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशानए

अक़दस के क़रीब बैठा था कि हज़रत अली व हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर की बारगाहे आलिया में हाज़री की ग़रज़ से तशरीफ़ लाए इन दोनों ने फ़रमाया, ऐ उसामा ! हमारे लिये हुज़ूर से हाज़री की इजाज़त ले लो। मैंने सरकार की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आपकी बारगाह में हाज़री चाहते हैं। फ़रमाया जानते हो यह दोनों किस लिये आए हैं ? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आपने फ़रमाया, लेकिन मैं जानता हूँ, आने दो। दोनों ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! हम यह पूछने आए हैं कि आपको अपने अहले बैत में कौन ज़्यादा महबूब है। फ़रमाया फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद। उन्होंने अर्ज़ किया हम आपके ख़ास घर की बात नहीं कर रहे हैं, फ़रमाया मुझे क़राबत दारों में वह ज़्यादा महबूब है जिस पर अल्लाह तआला ने इनआम फ़रमाया और मैंने इनआम किया। यानी उसामा इब्ने ज़ैद। उन्होंने अर्ज़ किया फिर कौन ज़्यादा महबूब है। आपने फ़रमाया अली बिन अबी तालिब। यह सुनकर हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! क्या आपके चचा का मक़ाम बाद में है, फ़रमाया हां क्योंकि अली ने तुम पर हिजरत में सबक़त कर ली। (सुनने तिर्मिज़ी, स. 223/2)

अल्लामा अली क़ारी अलैहि रहमतु रब्बिहिल बारी फ़रमाते हैं :

यानी सहाबा में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनआम न हो, मगर यहाँ वह मुराद हैं जिनकी सराहत कुरआने पाक में मौजूद है और वह ख़ुदावन्द कुद्दूस का यह इरशाद है कि : जब फ़रमाता था तू उससे जिसे अल्लाह तआला ने नेअ्मत दी और ऐ नबी तूने उसे नेअ्मत दी, और वह ज़ैद बिन हारिसा हैं। इसमें न किसी को इख़्तिलाफ़ है और न कोई शक। अगरचेह यह आयते करीमा हज़रत ज़ैद के हक़ में नाज़िल हुई है, मगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मिस्दाक़ हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ठहराया क्योंकि बेटा बाप के ताबेअ होता है।

इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं न सिर्फ़ सहाबए किराम बल्कि तमाम अहले इस्लाम अव्वलीन व आख़िरीन सब ऐसे ही हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने नेअ्मत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नेअमत दी। पाक कर देने से बढ़ कर और क्या नेअ़मत हाग़ी जिस का ज़िक्र आयते करीमा में बारहा सुना होगा कि :

وَيُزَكِّيهِمْ (सूरए बक़रह, आयत 129, सूरए आले इमरान, आयत 164)

यानी उन्हें पाक और सुथरा कर देता है बल्कि ला वल्लाह (ख़ुदा की क़सम) तमाम जहान में कोई शै ऐसी नहीं जिस पर अल्लाह का एहसान न हो और अल्लाह के र सूल का एहसान न हो। फ़रमाता है :

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ۝ (सूरए अंबिया, आयत नं. 107)

हमने न भेजा तुम्हें मगर रहमत सारे जहान के लिये। जब वह तमाम आलम के लिये रहमत हैं तो सारे जहांन पर उनकी नेअ़मत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले कुफ्र और अहले कुफ्रान (काफ़िर और ना शुक्री करने वाले) न मानें तो क्या नुक़सान। (अल अमनु वल उला, स. 135, 136)

हुज़ूर ने जन्नत अता फ़रमाई

हदीस नं. 3 : तर्जमा : यानी हज़रत रबीआ बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, उनका बयान है कि मैंने एक रात सरकार की ख़िदमत में गुज़ारी (फिर आप जब सुबह तहज्जुद के वक़्त बेदार हुए तो मैं) आपके वुज़ू वग़ैरह के लिये पानी लाया तो हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया, मांग क्या मांगता है। (ताकि मैं तुझे अता फ़रमाऊँ) तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मैं जन्नत में आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ आपने फ़रमाया इसके अलावा भी कुछ चाहिये ? मैंने अर्ज़ की मुझे तो यही काफ़ी है। तो आपने मुझसे फ़रमाया तू अपने नफ़्स की इस्लाह में कसरते सुजूद के ज़रीए मेरी मदद कर। (सही मुस्लिम, स. 193/1 मुस्नदे इमाम अहमद बिन हंबल, स. 74/4 सुनने अबी दाऊद जि. अव्वल, स. 203/1 सुनने नसाई, स. 171,/1 अत्तरग़ीब वत्तरहीब, स. 250/1 कन्ज़ुल उम्माल, स. 124/7 हदीस 19002)

हज़रत अल्लामा अली क़ारी अलैहि रहमतुल बारी फ़रमाते हैं : यानी हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुतलक़न तलब करने का हुक्म दिया इससे यह बात साबित होती है कि अल्लाह तआला ने हुज़ूर को यह इख़्तियार अता फ़रमाया है कि वह अल्लाह तआला के ख़ज़ानों में से जो चाहें अता फ़रमा दें। इसी वजह से हमारे अइम्मा ने आपकी एक ख़ुसूसियत यह भी बयान की है कि आप जिसे जो चाहें बख़्श दें।

फिर फ़रमाते हैं यानी इब्ने सबअ़ वग़ैरह उलमाए किराम ने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसियत में से एक ख़ुसूसियत यह भी बयान की है कि अल्लाह तआला ने जन्नत की ज़मीन हुज़ूर की जागीर कर दी है कि इसमें से जो चाहें जिसे चाहें दे दें। (मिरक़ातुल मफ़ातीह, स. 615/2)

हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह अशिअ़तुल लम्आत शरह मिश्कात में लिखते हैं : यानी मुतलक़ सवाल से फ़रमाया मांग और किसी मतलूब की तख़सीस न की, इससे मालूम हुआ कि सब के सब काम आपके क़ब्ज़ा व इख़्तियार में हैं कि आप जो चाहें जिसके लिये चाहें अपने रब की अता से देते हैं (तर्जुमए शेअ़र) क्योंकि दुनिया व आख़िरत की नेअ्मतें आपकी जूदो सख़ा का एक ज़र्रा हैं और लोहो क़लम का इल्म आपके उलूम का एक हिस्सा है। (अशिअ्अतुल लम्आत, स. 396/1)

हुज़ूर हाफ़िज़ो नासिर हैं

हदीस नं. 4 तर्जमा : अमीरुल मोमिनीन सय्यिदुना उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इनका बयान है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसका कोई मददगार नहीं, अल्लाहो रसूल उसके मददगार हैं। (सुनने तिर्मिज़ी, स. 31/2 सुनने इब्ने माजह, स. 201, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 36/2 सुनने दार कुतनी, स. 47/4)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं यानी हाफ़िज़ो नासिर है। अल्लाह तआला कुरआने करीम में

इरशाद फ़रमाता है : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ (सूरए मायदह, आयत नं. 55)

यानी ऐ मुसलमानो ! तुम्हारा मददगार नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और वह ईमान वाले जो नमाज़ क़ाइम रखते हैं और ज़कात देते हैं और वह रुकू करने वाले हैं।

अक़ूलु, (मैं कहता हूँ) यहाँ अल्लाह व रसूल और नेक बन्दों में मदद को मुनहसिर फ़रमाया कि बस यही मददगार हैं, तो ज़रूर यह मददे ख़ास है जिस पर नेक बन्दों के सिवा और लोग क़ादिर नहीं, वर्ना आम मददगारी का इलाक़ा तो हर मुसलमान के साथ है।

(अल अमनु वल उला, स. 103)

हुज़ूर जन्नत के मालिक हैं

हदीस नं. 5 तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है उनका बयान है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ियामत के दिन तमाम अगलों पिछलों को जमा किया जाएगा फिर नूर के दो मिंबर लाए जाऐंगे, जिन्हें अर्श के दाहिने बाएं नसब कर दिया जाएगा और उन दोनों मिंबरों पर दो शख़्स चढ़ेंगे, फिर अर्श के दाहिनी जानिब वाला शख़्स पुकारेगा ऐ गिरोहे मख़लूक़ ! जिसने मुझे पहचाना उसने पहचाना और जिसने न पहचाना (वह अब पहचान ले) मैं दारोग़ए जन्नत रिज़वान हूँ। मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने हुक्म दिया है कि जन्नत की कुन्जियाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दूँ। और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं वह कुन्जियाँ अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दे दूँ ताकि वह अपने मुहिब्बीन को जन्नत में दाख़िल कर लें। सुनते हो गवाह हो जाओ। फिर अर्श के बाएं जानिब वाला शख़्स पुकारेगा ऐ गिरोहे मख़लूक़ ! जिसने मुझे पहचाना उसने पहचाना। और जिसने न पहचाना (वह अब पहचान ले) मैं दारोग़ए जहन्नम मालिक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जहन्नम की

कुन्जियाँ मुहम्मदे अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दे दूँ। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं वह चाबियाँ अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सुपुर्द कर दूँ। ताकि वह अपने दुश्मनों को जहन्नम में भेज दें। (तारीख़े दमिश्क़, स. 231/4 अतहाफ़ुस्सादतिल मुत्तक़ीन, स. 176,/9)

हुज़ूर दाफ़िए बलय्यात हैं

हदीस नं. 6 :- तर्जमा, हज़रत वहब बिन मुम्बह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इनका बयान है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शअ्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ़ वही भेजी कि मैं एक नबिय्ये उम्मी को भेजने वाला हूँ जिसके ज़रीए बहरे कान, ग़िलाफ़ चढ़े दिल (बन्द दिल) और अन्धी आँखें खोल दूँगा। उसी के सबब गुमराही के बाद हिदायत दूँगा, उसी के ज़रीए जहालत के बाद इल्म दूँगा, उसी के वसीले से गुमनामी के बाद नेक नामी दूँगा, उसी के वास्ते से आम आदमी को नामवर कर दूँगा, उसी के ज़रीए से क़िल्लत को कसरत में बदल दूँगा, उसी की वजह से तंगदस्ती को कुशादगी में बदल दूँगा, उसी के सबब बिछड़ों को मिला दूँगा और उसी के वसीले से दिलों में महब्बत पैदा करूँगा और मुख़्तलिफ़ ख़्वाहिशात रखने वालों और मुख़्तलिफ़ क़ौमों में इत्तिफ़ाक़ क़ाइम करूँगा।

हुज़ूर ईमान वालों के जिस्मो जान के मालिक हैं

हदीस नं. 7 :- तर्जमा, हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, मैं दुनिया व आख़िरत में हर मोमिन से ज़्यादा उसका मालिक हूँ, चाहो तो इस सिलसिले में इस आयते करीमा से इस्तिदलाल कर लो (ख़ुदा फ़रमाता है सूरए अहज़ाब, आयत नं.6) नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक हैं। (सही बुख़ारी, स. 705/2 सही मुस्लिम, स. 36/2 मुस्नदे इमाम अहमद बिन हंबल, स. 446/2)

ख़ुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद

हदीस नं. 8 तर्जमा, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, उनका बयान है कि मुझे उन औरतों पर ग़ैरत आती थी जिन्होंने अपनी ज़ात को रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये हिबा कर दिया था तो मैंने कहा औरत अपने आपको किस तरह हिबा करती है फिर जब अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया पीछे हटाओ उनमें से जिसे चाहो और अपने पास जगह दो जिसे चाहो और जिसे तुमने कनारे कर दिया था उसे तुम्हारा जी चाहे तो उसने भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं। (सूरए अहज़ाब, आयत नं. 51) तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख़्वाहिश पूरी करने में जल्दी फ़रमाता है। (सही बुख़ारी, स. 706/2 सही मुस्लिम, स. 473/1 मुस्नदे इमाम अहमद बिन हंबल, स. 150/6)

हुज़ूर अपनी उम्मत को जहन्नम से बचाएंगे

हदीस नं. 9 तर्जमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है उनका बयान है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बे शक एक सरदार ने घर बनाया और उसमें मेहमान नवाज़ी का सामान मुहय्या किया और फिर लोगों को दावत में बुलाने के लिये किसी को भेजा तो सुनो सय्यद अल्लाह तआला है, मेहमान नवाज़ी का सामान कुरआन शरीफ़ है। घर जन्नत है और बुलाने वाला मैं हूँ। मेरा नाम कुरआन में मुहम्मद है, इन्जील में अहमद है और तौरेत में अहीद है। मेरा नाम अहीद इस लिये हुआ कि मैं अपनी उम्मत से दोज़ख़ की आग दूर फ़रमाउँगा पस अहले अरब से दिल की गेहराइयों से महब्बत रखो।

इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं (ऐ मुनकिरो! तुम्हारे नज़दीक अहीद प्यारा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाफ़िइल बला तो है ही नहीं, कह दो कि वह तुमसे नारे जहन्नम भी दफ़ा न फ़रमाएंगे और ब ज़ाहिर उम्मीद तो ऐसी ही है कि जो जिस नेअ्मते इलाही का मुनकिर होता है उस

नेअ्मत से महरूम होता है।

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़रमाता है : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ मैं अपने बन्दे से उसके गुमान के मुवाफ़िक़ मुआमला फ़रमाता हूँ जब तुम्हारा गुमान यह है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाफ़िइल बला में ही तो तुम इसी के मुस्तहिक़ हो कि वह तुम्हारे लिये दाफ़िइल बला न हों।

उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए

हदीस नं. 10 : तर्जमा, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि सुलहे हुदैबिया के दिन लोग प्यासे थे और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला था जिससे आपने वुज़ू फ़रमाया, तो लोग आपकी बारगाह में हाज़िर हुए। आपने फ़रमाया क्या बात है ? उन्होंने अर्ज़ किया हमारे पास वुज़ू करने और पीने के लिये पानी नहीं है, मगर यही पानी जो आपके सामने है तो हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेउसी पियाले में अपना दस्ते पाक रख दिया तो आपकी उंगलियों के दरमियान से चश्मों की तरह पानी निकलने लगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम सब ने पानी पिया और वुज़ू किया। हज़रत सालिम ने पूछा आप हज़रात की तादाद कितनी थी ? तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर हम एक लाख भी होते तब भी वह हमारे लिये काफ़ी होता, मगर उस वक़्त हमारी तादाद पन्द्रह सौ थी। (सही बुख़ारी, स. 598/1)

आँखों का दर्द दूर फ़रमा दिया

हदीस नं. 11 :-तर्जमा : हज़रत सहल बिन सअ्द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं कल यह झन्डा ऐसे शख़्स को दूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह तआला फ़तह फ़रमाएगा। तमाम लोग रात भर इस ख़याल में रहे कि देखें झन्डा किस ख़ुश नसीब को

अता होता है। जब सुबह हुई तो हर एक यह उम्मीद लिये हुए हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ कि झन्डा उसे अता होगा। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं ? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उनकी आँखों में दर्द है। फ़रमाया उन्हें मेरे पास बुलवाओ तो उन्हें आपकी खिमदत में लाया गया। उस वक़्त आपने उनकी आँखों में लुआबे दहन लगा दिया और उनके लिये दुआ फ़रमाई तो उनकी आँखों का दर्द जाता रहा जैसे उन्हें कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। (सही बुख़ारी, स. 605.606/1)

टूटा हुआ पेर जोड़ दिया

हदीस नं. 12 :- तर्जमा : हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने अक़दस में गुस्ताख़ी करने वाले अबू राफ़ेअ् यहूदी को क़त्ल करने के बाद उसके मकान से उतरने लगे तो ज़ीने से गिर गए तो उनकी पिन्डली टूट गई। उन्होंने उसी वक़्त अपनी पिन्डली को अपने अमामे से बाँध लिया और हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया। तो हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपना पांव फेलाओ,मैंने अपना पैर फैला दिया, हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते अक़दस फेर दिया तो वह पैर ऐसा हो गया जैसे उसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं थी।

(सही बुख़ारी, स. 577/2)

हुज़ूर के हुक्म में बरकत ही बरकत है

हदीस नं. 13 : तर्जमा : हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि हमें तोहफ़े में एक बकरी दी गई तो उसे पकाने के लिये हांडी में चढा दिया, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फ़रमाया ऐ अबू राफ़ेअ् यह क्या है ? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह यह बकरी

है जो हमें तोहफ़तन दी गई थी मैं इसे हांडी में पका रहा हूँ। सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अबू राफ़ेअ एक दस्त (बाज़ू) मुझे दो। मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में दस्त पेश कर दिया। फिर आपने फ़रमाया कि दूसरा दस्त भी दो, मैंने दूसरा दस्त भी आपकी ख़िदमत में पेश कर दिया। आपने फिर फ़रमाया ऐ अबू राफ़ेअ और दस्त लाओ, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बकरी के दो ही दस्त होते हैं। तो मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर तुम ख़ामोश रहते तो हमको दस्त पेश करते रहते जब तक तुम मना न करते। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 11/6, सुनने दारमी, जि......)

इससे मालूम हुआ कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख़्तियार था कि जब तक आप तलब फ़रमाते रहते पेश करने वाला पेश करता रहता तो अगर चेह बकरी में सिर्फ़ दो ही दस्त होते हैं लेकिन आपके इख़्तियार से हज़ारों दस्त ज़ाहिर होते रहते।

इससे बेहतर ख़ुश्बू नहीं

हदीस नं. 14 : तर्जमा : हज़रत उतबा बिन फ़रक़द रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हज़रत उम्मे आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि उतबा की हम चार बीवियाँ थीं और हम में से हर एक उतबा की ख़ुश्नूदी हासिल करने की ख़ातिर एक दूसरी से ज़्यादा ख़ुश्बूदार रहने की कोशिश करती। मगर जो ख़ुश्बू उतबा के जिस्म से आती वह हमारी ख़ुश्बू के मुक़ाबले में बहुत उम्दा होती थी। उनकी ख़ुश्बू का हाल यह था कि जब वह कहीं जाते तो लोग कहते हमने उतबा से बहतर ख़ुश्बू नहीं देखी।

तो हमने उनसे एक दिन पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर शाफ़िये अमराज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहदे मुबारक में मेरे बदन में फुंसियां निकल आईं तो मैंने उसके बारे में हुज़ूर से अर्ज़ किया, आपने फ़रमाया कपडे उतार दो, मैंने कपड़े उतार दिये और सत्र छुपाकर आपके सामने बैठ गया तो आपने अपने दस्ते मुबारक पर दम डालकर मेरे पेट और पीठ मल

दिया तो मेरी सारी बीमारी दूर हो गई और उसी दिन से मुझ में यह ख़ुश्बू पैदा हो गई। (ख़साइसुल कुबरा, स. 84/2)

दर्द काफ़ूर हो गया

हदीस नं. 15 :- तर्जमा : हज़रत यज़ीद बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि मैंने सलमा बिन अक्वअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पिन्डली में चोट का असर देखकर पूछा कि ऐ अबू मुस्लिम यह चोट का निशान कैसा है तो उन्होंने कहा कि यह चोट मुझे ख़ैबर के दिन लगी थी तो लोग कहने लगे कि सलमा शहीद हो गए, फिर मुझे हुज़ूर की ख़िदमत में लाया गया तो हुज़ूर ने तीन बार दम फ़रमाया तो मेरी तकलीफ़ हमेशा के लिये ख़त्म हो गई। (सही बुख़ारी, स. 605/2)

खाने में बरकत हो गई

हदीस नं. 16 :- हज़रत इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है, इन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह फ़रमाते सुना कि हज़रत अबू तलहा ने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ कमज़ोर लग रही है समझता हूँ कि यह कमज़ोरी खाना न खाने की वजह से है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिये कुछ है, उन्हा ने कहा हाँ है। फिर उन्होंने जौ की चन्द टिकिया निकाल कर उसकी रोटियाँ पकाई और अपनी ओढ़नी में लपेट कर मुझे हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में भेजा। मैं वह रोटियाँ लेकर हुज़ूर की ख़िदमत में गया, मैंने देखा कि आप लोगों के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा हैं, मैं सलाम करके ख ड़ा हो गया तो आपने मुझसे फ़रमाया, क्या तुम्हें अबू तल्हा ने भेजा है, मैंने अर्ज़ किया हाँ, फ़रमाया क्या खाना देकर भेजा है ? मैंने अर्ज़ किया हाँ। तो आपने वहाँ मौजूद अफ़राद से फ़रमाया उठो रावी कहते हैं कि वह सब हज़रत अबू तलहा के घर की तरफ़ रवाना

हुए, मैं भी उनके आगे आगे चल रहा था, मैंने आकर अबू तलहा को बताया कि सरकार सबके साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा हुज़ूर सबके साथ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम उन सब को खिला दें उन्होंने जवाब दिया अल्लाहो रसूल ख़ूब जानते हैं।

रावी कहते हैं कि अबू तलहा ने आगे बढ़ कर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख़ैर मक़दम किया, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू तलहा के हमराह मकान में दाख़िल हुए तो आप ने फ़रमाया, ऐ उम्मे सुलेम तुम्हारे पास जितना खाना है उसे लाओ। उम्मे सुलेम वही रोटियाँ लेकर हाज़िर हुईं। आपने फ़रमाया इन रोटियों को तोड़ो। उम्मे सुलेम ने उन रोटियों को तोड़ा और घी के बरतन से कुछ घी उन्डेल कर उसका सालन तैय्यार किया फिर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़कर उस पर दम किया। फिर फ़रमाया दस आदमियों को आने दो। चुनाँचे वह लोग आए और शिकम सेर होकर चले गए। फिर फ़रमाया दस अफ़राद को आने दो, फिर वह हज़रात आए और खाने से फ़ारिग़ होकर रुख़सत हो गए, फिर फ़रमाया और दस लोगों को आने दो तो वह आए और खाना खाकर चले गए इस तरह कुल अफ़राद खाने से फ़ारिग़ हो गए। यह सब सत्तर या अस्सी अफ़राद थे। (तिर्मिज़ी, स. 203, 204/2)

ख़ज़ानों की कुन्जियाँ दी गईं

हदीस नं. 17 : तर्जमा : हज़रत उक़बा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद तशरीफ़ लाकर शोहदाए उहुद पर ऐसी नमाज़ पढ़ी जैसी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाती है, फिर मिंबर पर तशरीफ़ लाए और यूँ इरशाद फ़रमाया, मैं तुम्हारा पेशरो हूँ, मैं तुम पर गवाह हूँ। और बेशक मैं अपना होज़ अभी देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियाँ दी गई हैं। ख़ुदा की क़सम मुझे अपने बाद तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का ख़दशा **नहीं** है हाँ मुझे यह डर है कि तुम दुनिया के हरीस हो जाओगे। (सही बुख़ारी, स. 585/2)

इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़मीन के सारे ख़ज़ानों की कुन्जियाँ अता फ़रमा दी गईं लिहाज़ा आप ज़मीन के ख़ज़ानों के मालिक हैं और आपको इख़्तियार है कि जिसे चाहें जो चाहें अता फ़रमा दें।

सीने पर हाथ रखकर क़ाज़िल कुज़ात बना दिया

हदीस नं. 18 :- तर्जमा : हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि हुज़ूर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन का क़ाज़ी बनाकर भेजा। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप मुझे वहाँ का क़ाज़ी बनाकर भेज रहे हैं हालांकि मैं नौजवान हूँ, मुझे फ़ैसला करने का तजरबा नहीं है। हज़रत अली कहते हैं, तो मुख़्तारे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते पाक मारकर फ़रमाया ऐ अल्लाह इसका दिल खोल दे और इसकी ज़बान की हिफ़ाज़त फ़रमा। हज़रत अली फ़रमाते हैं उसके बाद से फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ैसला करने में मुझे कभी परेशानी नहीं हुई।

(सुनने इब्ने माजह, स. 168, सुनने अबी दाऊद, स. 156/2)

इससे मालूम हुआ कि आपका दस्ते पाक क़ुदरते ख़ुदावन्दी का मज़हब है, जिसके सीने पर रख दें वह सीना उलूमो फ़ुनून का समन्दर हो जाए जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान इस पर शाहिदे अद्ल है।

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया किसी मुसलमान को जाइज़ नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान को दुश्मनी की वजह से छोड़ दे अगर तीन दिन हो जाएं तो उसको चाहिये कि अपने भाई से मिलकर सलाम करे अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो सवाब में दोनों शरीक हैं और अगर वह सलाम का जवाब न दे तो जवाब न देने वाला गुनाहगार हुआ और सलाम करने वाला तअल्लुक़ात के तर्क के गुनाह से बरी हो गया।

(अबू दाऊद शरीफ़, स. 673/2)

उंगली के इशारे से चाँद दो टुकड़े हो गया

हदीस नं. 19 : तर्जमा : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उनका बयान है कि मक्का वालों ने हुज़ूरे जाने नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालबा किया तो रसूले मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें चाँद के दो टुकड़े करके दिखा दिया, यहाँ तक कि मक्का वालों ने हिरा पहाड़ को चाँद के दो टुकड़ों के दरमियान देखा।

(सही बुख़ारी, स. 546/1)

एक और रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़मानए मुक़द्दसा में चाँद दो टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और दूसरा टुकड़ा उसके नीचे। (सही बुख़ारी, स. 721/2)

इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर का इख़्तियार कायनाते आलम की हर एक शै पर है यहाँ तक कि चाँद जैसी ख़ुदा की अज़ीम निशानी पर भी।

बे हिसाब जन्नत अता फ़रमा दी

हदीस नं. 20 तर्जमा : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि मेरी उम्मत में से एक ऐसी जमाअत जन्नत में दाख़िल होगी जिसका चेहरा चौदहवीं के रात की चाँद की तरह चमकता होगा। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यह सुनकर अकाशा बिन मेहसन रज़ियल्लाहु तआला अपनी चादर समेटे हुए उठे और बारगाहे रसूल में अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह! मेरे लिये भी दुआ फ़रमाएं कि अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल कर दे। हुज़ूर साहिबे इख़्तियार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अल्लाह! इसे भी उन लोगों में शामिल कर दे। फिर अन्सार में से एक शख़्स ने उठ कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे हक़ में दुआ फ़रमा

दें। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उक्काशा तुम पर सबक़त ले गए। (सही मुस्लिम, स. 116/1)

इससे मालूम हुआ कि हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया व आख़िरत की हर नेअमत का इख़्तियार है इसी लिये तो उक्काशा की दरख़्वास्त पर दुख़ूले जन्नत की बशारत अता फ़रमा दी।

एक प्याला दूध सत्तर अफ़राद के लिये काफ़ी हो गया

हदीस नं. 21 तर्जमा : अस्हाबे सुफ़्फ़ा ने ख़ुद को शिरकते जिहाद और हुसूले तालीम के लिये वक़्फ़ कर दिया था, यह हज़रात मस्जिदे नबवी में हाज़िर रहते खाने को मिल जाता तो खा लेते वर्ना सब्रो क़नाअत से काम लेते मगर किसी से सवाल न करते। हज़रत अबू हुरैरह जो अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से एक हैं फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब कुछ सदक़ा आता तो आप उसे अस्हाबे सुफ़्फ़ा के पास भेज देते, ख़ुद उसमें से बिल्कुल नहीं लेते, अगर हदिया आता तो आप उसे क़ुबूल फ़रमा लेते और उसमें अस्हाबे सुफ़्फ़ा को भी शरीक कर लेते।

एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरह को तेज़ भूक लग रही थी, सरकारे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अपने साथ काशानए अक़दस पर ले आए, घर में उस वक़्त फ़क़त एक प्याला दूध था, जो किसी ने हदिये में भेजा था। सरकार ने फ़रमाया अबू हुरैरह ! अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरह कहते हैं मैंने दिल में सोचा, एक प्याला दूध, अस्हाबे सुफ़्फ़ा के लिये क्या काम देगा, मैं तो सोच रहा था कि यह दूध मुझे ही मिल जाता तो इसे पीकर कुछ तवानाई आती, लेकिन सरकार का हुक्म था, मैंने अस्हाबे सुफ़्फ़ा को बुलाया, जब वह सब अपने अपने मक़ाम पर बैठ गए तो हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ऐ अबू हुरैरह ! मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हाज़िर हूँ,

फ़रमाया यह दूध इन सब को पिलाओ। मैं दूध का प्याला लेकर हर एक के पास जाता जब वह पीकर शिकम सेर हो जाता तो मुझे लौटा देता, इस तरह यके बाद दीगरे सारे अफ़राद पी चुके, यहाँ तक कि वह प्याला हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ पहुँच गया। तमाम अस्हाबे सुफ़्फ़ा तो सेर हो चुके थे, आपने प्याला अपने दस्ते पाक पर रखा और मेरी तरफ़ देखकर मुस्कुराकर फ़रमाया ऐ अबू हुरैरह मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ, फ़रमाया अब मैं और तुम बाक़ी रह गए हैं, मैंने अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह आपने सच फ़रमाया, फ़रमाया लो बैठ कर पियो, तो मैंने बैठकर पिया, फ़रमाया और पियो तो फिर मैंने पिया, आप बराबर यही फ़रमाते रहे और मैं पीता रहा यहाँ तक कि मैंने अर्ज़ किया जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है, अब बिल्कुल गुन्जाइश नहीं रही। फिर वह प्याला मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में पेश कर दिया तो आपने अल्लाह की हम्द बयान की और बिस्मिल्लाह पढ़करप बचा हुआ दूध पी लिया।

(सही बुख़ारी, स.955/2, ख़साइसुल कुबरा, स. 48/2)

मुफ़्लिस कौन

हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क्या तुम्हें मालूम है कि मुफ़्लिस कौन है लोगों ने अर्ज़ किया हम में मुफ़्लिस वह है जिसके पास न रुपये पैसे हों और न ज़िन्दगी गुज़ारने के लिये कोई सामान। हुज़ूर ने फ़रमाया मेरी उम्मत में हक़ीक़तन मुफ़्लिस वह है जो क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा, ज़कात लेकर आएगा और उसने किसी को गाली दी होगी किसी पर तोहमत लगाई होगी किसी का माल खाया होगा किसी का ख़ून बहाया होगा और किसी को मारा होगा तो अब उन्हें राज़ी करने के लिये उस शख़्स की नेकियाँ इन मज़लूमों के दरमियान बांट दी जाएंगी और जब उस शख़्स की नेकियाँ ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर लोगों के हुक़ूक़ उस पर बाक़ी रहेंगे तो हक़दारों के गुनाह उस पर लाद दिये जाएंगे फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। (मुस्लिम शरीफ़, स. 320/2)

खजूरों में बे पनाह बरकत

हदीस नं. 22 : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग में थे कि इस्लामी फ़ौज को खाने की कमी का सामना करना पड़ा। हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया ऐ अबू हुरैरह तुम्हारे पास खाने को कुछ है ? मैंने अर्ज़ किया मेरे झोले में कुछ ख जूरें हैं, फ़रमाया ले आओ, मैं झोला लेकर हाज़िर हुआ तो फ़रमाया दस्तरख़्वान लाओ, मैंने दस्तरख़्वान लाकर बिछा दिया फिर आपने खजूरें निकालीं तो वह कुल इक्कीस खजूरें थीं आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक एक खजूर को अपने दस्ते पाक में लिया और आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे इस तरह सब खजूरें आपके दस्ते पाक में आ गईं, आपने उनको जमा करके फ़रमाया : फ़लां और उसके साथियों को बुलाओ (उन्हें बुलाया गया) तो वह आए, और शिकम सेर होकर खाया जब वह चले गए, तो फ़रमाया फ़लां और उसके साथियों को बुलाओ तो वह आए और खाकर चले गए। फिर फ़रमाया फ़लां और उसके साथियों को बुलाओ तो वह भी आए और पेट भर कर खाकर चले गए और खजूरें फिर भी बच गईं, फिर मुझसे फ़रमाया बैठ जाओ तो मैं बैठ गया फिर मैंने हमने खाया फिर भी खजूरें बाक़ी रहीं तो हुज़ूर ने उन्हें लेकर झोले में डाल दीं और मुझसे फ़रमाया जब तुम्हें खजूरें निकालना हों तो अपना हाथ डालकर निकालते रहना, मगर उसे उलटना नहीं। तो जब मुझे ज़रूरत होती तो उसमें हाथ डालता और खजूरें निकाल लेता, इस तरह मैंने उस में से पचास वसक़ खजूरें अल्लाह की राह में ख़र्च कर दीं। हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में वह थेली मेरी सवारी के पीछे लटकी हुई थी तो वह कहीं गिर कर ग़ायब हो गई।

(ख़साइसुल कुबरा, स. 51/2)

एक वसक़ साठ साअ़ का होता है और एक साअ़ चार किलो नव्वे (4.90) ग्राम का तो पचास वसक़ खजूर का वज़न बारह हज़ार दो सौ सत्तर ग्राम यानी एक सौ बाइस क्विंटल से भी ज़ाइद हो गया।

ख़याल फ़रमाएं कि इक्कीस खजूरों में ऐसी बरकत हुई कि इब्तिदा में मुजाहिदीने इस्लाम और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम सैर होकर तनावुल फ़रमाईं, हज़रते अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साठ वसक़ खजूरें ख़ुदा की राह में ख़ैरात कर दीं और अहदे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दौरे ख़िलाफ़ते उस्मानी तक ख़ुद आपने उसमें से कितनी खजूरें खाई होंगी, अल्लाहो रसूल ही जानें।

खजूर का ख़ोशा बारगाहे अक़दस में हाज़िर

हदीस नं. 23 : तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, उनका बयान है कि एक एराबी (देहात के रहने वाले) ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया मैं कैसे मान लूँ कि आप नबी हैं, आपने फ़रमाया अगर खजूर के इस ख़ोशे को अपने पास बुला लूँ और वह आकर गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जब तुम मान लोगे ? फिर हुज़ूर मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस ख़ोशे को बुलाया तो वह खजूर के दरख़्त से उतरने लगा यहाँ तक कि वह हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़रीब ज़मीन पर गिर गया, फिर आपने फ़रमाया वापस जाओ तो वह वापस चला गया यह देखकर वह देहाती मुसलमान हो गया। (सुनने तिर्मिज़ी, स. 203/2)

लकड़ी तलवार हो गई

हदीस नं. 24 तर्जमा : हज़रत उक्काशा बिन मेहसन से मरवी है उनका बयान है कि जंगे बद्र में मेरी तलवार टूट गई तो जाने इख़्तियार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी अता फ़रमाई तो वह चमकती हुई लम्बी तलवार हो गई और मैं उसी से जंग करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन को शिकस्त दे दी इन्तिक़ाल के वक़्त तक वह तलवार उन्हीं के पास महफ़ूज़ रही। (बैहिक़ी, स. 107/3, ख़साइसुल कुबरा, स. 205/1)

कंकरियों ने हुज़ूर की गवाही दी

हदीस नं. 25 तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में हज़र मौत के कुछ ज़मीन दार हाज़िर हुए, उनमें अशअस बिन क़ैस भी थे, इन लोगों ने कहा हम एक बात दिल में छुपा कर आए हैं बताइये वह व या है। आपने फ़रमाया सुब्हानल्लाह यह तो काहिन का काम है और कहानत व काहिन का ठिकाना जहन्नम है। फिर वह बोले तो हम कैसे यक़ीन कर लें कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने ज़मीन से एक मुट्ठी कंकरियाँ उठाकर फ़रमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इस बात की गवाही यह कंकरियाँ देंगी। फिर वह कंकरि याँ आपके हाथ में तस्बीह पढ़ने लगीं, यह सुनते ही उन लोगों ने कहा हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के र सूल हैं। (ख़साइसुल कुबरा, स. 75/2)

मस्जिद के आदाब : (1) बग़ैर नियते एतिकाफ़ मस्जिद में किसी चीज़ के खाने पीने की इजाज़त नहीं बहुत सी मस्जिदों में रिवाज है कि रमज़ान के महीने में लोग नमाज़ियों के लिये इफ़्तारी भेजते हैं और वह लोग एतिकाफ़ की नियत किये बग़ैर बे तकल्लुफ़ खाते पीते और फ़र्श ख़राब करते हैं यह नाजाइज़ है (2) मस्जिद की एक सफ़ से दूसरी सफ़ में जाते वक़्त सीधा क़दम बढ़ाए यहाँ तक कि अगर सफ़ बिछी हो उस पर भी पहले सीधा क़दम रखो और जो वहाँ से हटो तब भी सीधा क़दम फ़र्शे मस्जिद पर रखो (3) वुज़ू करने के बाद आज़ाए वुज़ू से पानी का एक छींटा भी फ़र्श पर न गिरे (4) मस्जिद में दौड़ना या ज़ोर से क़दम रखना जिससे धमक पैदा हो मना है (5) मस्जिद में दुनिया की बातें न की जाएं हां अगर कोई दीनी बात किसी से कहना हो तो क़रीब जाकर आहिस्ता कहना चाहिये (6) मस्जिद के फ़र्श पर कोई चीज़ न फेंकी जाए बल्कि आहिस्ता से रख दे अगर लकड़ी या छत्री वग़ैरह रखना है तो उसे दूर से न फेंके बल्कि आहिस्ता से रखे (7) क़िब्ले की तरफ़ पैर फैलाना तो हर जगह मना है मस्जिद में किसी तरफ़ न फैलाए यह ख़िलाफ़े आदाबे दरबार है। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तन्हा बैठे थे पांव फैला लिया मस्जिद के एक कोने से हातिफ़ ने आवाज़ दी इब्राहीम बादशाह के हुज़ूर क्या ऐसे ही बैठते हैं फ़ौरन पांव समेट लिये और ऐसे समेटे कि इन्तिक़ाल के वक़्त ही फैले (8) मस्जिद में यहाँ के किसी काफ़िर को आने देना सख़्त नाजाइज़ और मस्जिद की बे हुरमती है। (अल मलफ़ूज़, स. 112/2):

दरख़्त बारगाहे रसूल में हाज़िर

हदीस नं. 26 तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है उनका बयान है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि एक देहाती आया, जब वह हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क़रीब हुआ तो हुज़ूर ने उससे फ़रमाया क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह एक है उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। देहाती ने कहा मेरे सिवा और कौन इस बात की गवाही देगा ? आपने फ़रमाया यह बबूल का दरख़्त गवाही देगा फिर आपने उस दरख़्त को बुलाया, आप वादी के कनारे पर थे वह दरख़्त ज़मीन को चीरता हुआ चला यहाँ तक कि आपके सामने आकर खड़ा हो गया हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने (ख़ुदा की वहदानियत और अपनी रिसालत की) तीन बार गवाही तलब फ़रमाई उस दरख़्त ने तीनों बार गवाही दी उसके बाद वह दरख़्त अपनी जगह चला गया। (सुनने दारमी, स.26/1, मिश्कात शरीफ़, स. 541)

जुनून ख़त्म हो गया

हदीस नं. 27 तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है उनका बयान है कि एक औरत अपने मजनून बच्चे को हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाज़िर हुई और गुज़ारिश की या रसूलल्लाह यह मेरा बेटा है इसे जुनून है इस पर सुब्हो शाम जुनून तारी होता है, रसूले मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के सीने पर अपना दस्ते पाक फेरा तो उसने क़ै की और उसके पेट से काले पिल्ले जैसी एक चीज़ निकली जो भागती चली गई। (शिफ़ा शरीफ़ 214/1)

आँखों की गई हुई रोशनी लौटा दी

हदीस नं. 28 तर्जमा : हज़रत हबीब बिन फ़दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वह अपने वालिद को हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में लेकर गए, क्योंकि उनकी आँखें सफ़ेद पड़ गई थीं और उनसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो नबिय्ये रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई .। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सांप के अन्डे पर मेरा पेर पड़ गया तो मेरी आँखों की रोशनी जाती रही। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन आँखों पर दम किया तो उन से दिखाई देने लगा, उनके साहिबज़ादे हज़रत हबीब कहते हैं मैंने उन्हें अस्सी साल की उम्र में देखा कि वह सुई में तागा डाल लेते थे हालांकि उनकी आँखें सफ़ेद थीं। (अल मोअजमुल कबीर, स. 17/4, मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, स. 445/7 मजमउज़्ज़वाइद, स. 526/8, अश्शिफ़ा बि तारीफ़ि हुक़ूक़िल मुस्तफ़ा, स. 323/1, ख़साइसुल कुबरा, स. 69/2)

जला हुआ बच्चा ठीक हो गया

हदीस नं. 29 तर्जमा : हज़रत मुहम्मद बिन हातिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि (बचपने में) मेरे हाथ पर (गर्म गर्म) हांडी उलट गई जिससे मेरा हाथ जल गया तो मेरी वालिदा मुझे हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में ले गई, तो आपने :

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسُ

पढ़कर दम किया तो मैं उसी वक़्त अच्छा हो गया। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 511/3, ख़साइसुल कुबरा, स. 69/2)

और एक रिवायत में है आपने यह दुआ पढ़कर दम किया :

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَآءَ

اِلَّا شِفَاءُكَ وَشِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا ○

(मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 317/3)

लड़की ने ज़िन्दा होकर क़ब्र से जवाब दिया

हदीस नं. 30 तर्जमा : हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सय्यिदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को इस्लाम की दावत दी तो उसने कहा मैं उस वक़्त तक ईमान नहीं लाउँगा जब तक कि आप मेरी मुर्दा बेटी को ज़िन्दा न कर दें। आपने फ़रमाया मुझे उसकी क़ब्र पर ले चलो, चुनांचे उसने अपनी बेटी की क़ब्र दिखा दी तो हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की का नाम लेकर पुकारा तो उसने क़ब्र से जवाब दिया ऐ अल्लाह के रसूल मैं (ज़िन्दा होकर) आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ फिर आपने उससे फ़रमाया क्या तू दुनिया में लौटना चाहती है, लड़की ने कहा या रसूलल्लाह ख़ुदा की क़सम सरीद के लुग़वी मअ़ना हैं रोटीको तोड़ कर शोरबे में भिगोना, जिसे हम अपनी ज़बान में रोटी चूरना या रोटी मलना कहते हैं। सरीद हुज़ूर की मरग़ूबो पसन्दीदा ग़िज़ा थी, हुज़ूर ने एक मक़ाम पर इरशाद फ़रमाया आयशा औरतों में ऐसा ही अफ़ज़ल है, जैसे सरीद तमाम खानों में अफ़ज़ल है। मैं दुनिया में आना नहीं चाहती, क्यों कि मेरा रब मेरे मां बाप से ज़्यादा महरबान है और आख़िरत दुनिया से बेहतर है। (मवाहिबुल लदुन्नियह, स. 577/2 ज़रक़ानी अलल मवाहिब, स. 61,62/7)

पकी हुई बकरी ज़िन्दा हो गई

इमाम अबू नुऐम ने अपनी किताब दलाइलुन्नुबुव्वत में यह हदीस बयान की है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बकरी ज़िबह करके उसका गोश्त पकाया और उसमें रोटी के टुकड़े डालकर उसका सरीद बनाया, फिर उसे हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में लेकर हाज़िर हुए। हुज़ूर और तमाम सहाबा ने उसने तनावुल फ़रमाया और हुज़ूर नबिय्ये मुख़्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमा दिया था कि गोश्त खा लो, लेकिन उसकी हड्डी मत तोड़ना। जब सब लोग खाने से फ़ारिग़ हो गए तो आपने तमाम हड्डियों को जमा फ़रमाया फिर

उन पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा तो वह बकरी ज़िन्दा होकर खड़ी हो गई और कान हिलाने लगी। (मवाहिबुल्लदुन्नियह, स. 578, 579/2)

ख़साइसुल कुबरा में इस रिवायत के आख़िर में इतने अलफ़ाज़ और ज़्यादा हैं।

तर्जमा : आपने फ़रमाया ऐ जाबिर ! तुम अपनी बकरी ले जाओ। जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बकरी को लेकर अपने घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने हैरान होकर पूछा यह बकरी कहाँ से आ गई। मैंने कहा ख़ुदा की क़सम यह वही बकरी है जिसे हमने ज़िबह किया था। हुज़ूर मुख़्तारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तआला से दुआ की तो उसने हमारे लिये बकरी को ज़िन्दा फ़रमा दिया। यह सुनकर उनकी बीवी ने बलन्द आवाज़ से कलमए शहादत पढ़ा। (ख़साइसुल कुबरा, स. 67/2)

अगर हां कह देता तो फ़र्ज़ हो जाता

हदीस नं. 31 तर्जमा : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुत्बा दे रहे थे तो आपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन पर हज फ़र्ज़ फ़रमाया है, एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फ़र्ज़ है, हुज़ूर ख़ामोश रहे उन्होंने यह सवाल तीन बार दोहराया तो आपने फ़रमाया अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता और जब वाजिब हो जाता तो तुम अदा नहीं कर पाते लिहाज़ा जब तक मैं कोई हुक्म न दूँ तुम ख़ामोश रहा करो क्यों कि तुम से पहली उम्मतें अपने अंबिया के इख़्तिलाफ़ करने और ज़्यादा सवालात करने की वजह से हलाक हो गईं तो मैं जब तुमको कोई हुक्म दूँ उसे कुबूल कर लो और जब किसी चीज़ से मना करूँ तो रुक जाओ। (सुनने नसई, स. 1/2, सही मुस्लिम, स. 432/1)

एक दूसरी रिवायत में है हज़रते अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम फ़रमाते हैं कि जब आयते करीमा :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝

(सूरए आले इमरान, आयत नं. 97)

तर्जमा : अल्लाह ही के लिये लोगों पर हज्जे बैतुल्लाह फ़र्ज़ है जो साहिबे इस्तिताअत हो तो सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फ़र्ज़ है ? हुज़ूर ख़ामोश रहे सहाबा ने फिर अर्ज़ किया क्या हर साल फ़र्ज़ है ? फ़रमाया नहीं अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता इस मौक़े पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۝

(सूरए मायदह, आयत नं. 101)

तर्जमा : ऐ ईमान वालो बहुत चीज़ों के बारे में सवाल न करो कि अगर तुम्हारे लिये उसका हुक्म ज़ाहिर किया जाए तो तुम्हें ना पसन्द हो (अद्दुर्रुल मन्सूर, 98/2, सुनने इब्ने माजह, स. 213/2, कन्जुल उम्माल, स. 25/5, हदीस नं. 11870, फ़तहुल बारी, स. 260/12)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं हुज़ूर के फ़रमाने अक़दस का मतलब यह है कि जिस बात में मैं तुम पर वुजूब या हुरमत का हुक्म न करूँ उसे खोद खोद का न पूछो कि फिर वाजिब या हराम का हुक्म फ़रमा दूँ तो तुम पर तंगी हो जाए। यहाँ से यह भी साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का न हुक्म दिया न मना किया वह मुबाह व बिला हरज है

इल्मे दीन की फ़ज़ीलत

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स इल्मे दीन हासिल करने के लिये सफ़र करता है तो ख़ुदा उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है और तालिबे इल्म की रज़ा हासिल करने के लिये फ़रिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं और हर वह चीज़ जो आसमानो ज़मीन में है यहाँ तक कि मछलियाँ पानी के अन्दर आलिम के लिये दुआए इस्तिग़फ़ार करती हैं और आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसी चौदहवीं रात के चाँद की फ़ज़ीलत सितारों पर और उलमा अंबियाए किराम के वारिसो जानशीन हैं। अंबियाए किराम का तर्का दीनार व दिरहम (रुपया पैसा) नहीं है उन्होंने विरासत में सिर्फ़ इल्म छोड़ा है जिसने इसे हासिल किया उसने पूरा हिस्सा पा लिया (बुख़ारी शरीफ़, स. 16/1)

6 महीने के बकरे की कुरबानी जाइज़ फ़रमा दी

इस्लामी क़ानून यह है कि कुरबानी का जानवर पूरे एक साल का होना चाहिये अगर साल में एक दिन भी कम है तो उस जानवर की कुरबानी जाइज़ नहीं यह हुक्म हमेशा के लिये और सब के लिये है लेकिन हुज़ूर मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह इख़्तियार मुलाहज़ा करें कि आपने हज़रते अबू बुर्दा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस हुक्म से मुस्तस्ना फ़रमा दिया चुनाँचे इरशादे रसूल है।

हदीस नं. 32 : तर्जमा : हज़रते बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ईदे कुरबाँ की नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया जो हमारी तरह नमाज़ पढ़ता है और (नमाज़ में) हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करता है उसे ईद की नमाज़ से पहले कुरबानी करना जाइज़ नहीं (हज़रते बरा इब्ने आज़िब कहते हैं कि) मेरे मामू हज़रते अबू बुर्दा बिन नियार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं तो कुरबानी कर चुका आपने फ़रमाया तुमने वक़्त से पहले कुरबानी कर दी (यानी तुम्हारी कुरबानी सही नहीं हुई) तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी का छः महीने का एक बच्चा है जो साल भर की दो बकरियों से अच्छा है व या मैं उसकी कुरबानी कर दूँ ? फ़रमाया ठीक है तुम उसकी कुरबानी कर दो लेकिन इतनी उम्र के बकरे की कुरबानी तुम्हारे बाद किसी के लिये हरगिज़ जाइज़ नहीं। (सही बुख़ारी, स. 834/2 सही मुस्लिम, स. 154/2)

इसी सिलसिले की एक दूसरी रिवायत हज़रते उक़बा बिन आमिर जोहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है वह कहते हैं कि हुज़ूर नबिय्ये करीम अलैहिस्सलातो वत्तस्लीम ने सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को कुरबानी के लिये

जानवर अता फ़रमाए उनके हिस्से में छः माह की बकरी आई वह कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे हिस्से में छः माह की बकरी आई है तो हुज़ूर नबिय्ये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम उसकी की कुरबानी कर दो।

(सही बुख़ारी, स. 832/2, सही मुस्लिम 155/2)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं सुनने बैहक़ी में इतना और ज़ाइद है कि तुम्हारे बाद और किसी के लिये इसमें रुख़सत नहीं। शैख़े मुहक़्क़िक़ अशिअ् अतुल लम्आत शरहे मिश्कात में फ़रमाते हैं सही क़ौल के मुताबिक़ अहकामे शरइय्या हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुपुर्द हैं। (अल अमनो वल उला, स. 178)

चन्द औरतों को नौहा करने की इजाज़त अता फ़रमा दी

इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ किसी रिश्ते दार की मौत पर नौहा करना (बयान करके रोना, चीखना, चिल्लाना) जाइज़ नहीं लेकिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चन्द सहाबियात को इस क़ानून से मुस्तस्ना फ़रमा दिया हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं।

हदीस नं. 33 :- तर्जमा : हज़रते उम्मे अतिय्या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि जब यह आयते करीमा नाज़िल हुई :

يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ

तर्जमा : ऐ नबी जब तुम्हारे हुज़ूर मुसलमान औरतें हाज़िर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का शरीक कुछ न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी औलाद को क़त्ल करेंगी और न वह बोहतान लाएंगी जो अपने हाथों और पांव के दरमियान यानी मोज़ए विलादत में उठाएं और किसी नेक बात में

तुम्हारी ना फ़रमानी न करेंगी। (कन्ज़ुल ईमान)

(इसमें हर गुनाह से बचने का हुक्म था और मुर्दे पर) नोहा करना भी इसमें शामिल था मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फ़लां घर वालों को मुस्तस्ना फ़रमा दीजिये क्यों कि उन्होंने ज़मानए जाहिलियत में मेरे साथ मिलकर मेरी एक मय्यित पर नौहा किया था तो मुझे भी उनकी मय्यित पर नौहा करने में उनका साथ देना पड़ेगा। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अच्छा उस घर वालों को मुस्तस्ना कर दिया। (सही मुस्लिम 304/1, तफ़सीर दुर्रे मन्सूर, 314/6)

शारिहे मुस्लिम इमामे नववी रहमतुल्लाहि अलैह फ़रमाते हैं यह हदीसे पाक ख़ास हज़रत उम्मे अतिया के लिये रुख़सत पर महमूल है। (नववी मअ मुस्लिम, स.304/1) इसी तरह हज़रते उम्मे सलमा असमा बिन्ते यज़ीद (तिर्मिज़ी, स. 164/2) ख़ौलह बिन्ते हकीम (तफ़सीरे दुर्रे मन्सूर, स. 315/6 और एक सहाबिया (अल मोअजमुल कबीर, स. 211/11) (हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इनका नाम ज़िक्र नहीं फ़रमाया) के लिये भी आपने नौहा करने की इजाज़त अता फ़रमाई।

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रजियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं यह बात ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता अहादीस में हर औरत के लिये रुख़सत उसी के साथ ख़ास थी कि इसमें दूसरी शरीक न थी लिहाज़ा इमामे नववी के क़ौल पर इस बात की तरदीद न की जाए कि उन्होंने फ़रमाया यह रुख़सत सिर्फ़ हज़रते उम्मे अतिया के लिये ख़ास थी इसी तरह वह तआरुज़ भी दूर किया जा सकता है जिसमें बाज़ हज़रात को इश्काल पेश आया कि क़ुरबानी से मुतअल्लिक़ अहादीस हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार और हज़रत उक़बा बिन आमिर दोनों के लिये कैसे हो सकती हैं कि तख़सीस तो सिर्फ़ एक ही पर मुतसव्वर होगी।

दफ़ए तआरुज़ की सूरत यह होगी कि दोनों अहादीस में हुक्म है ख़बर नहीं और इसमें शक नहीं कि जब शारेअ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बुर्दा को एक हुक्म में ख़ास कर दिया तो

उनके अलावा तमाम उम्मत इस बात में शरीक हुई कि किसी के लिये शशमाही बकरे की क़ुरबानी जाइज़ नहीं फिर हज़रत उक़बा बिन आमिर को ख़ास किया तो अब भी यह बात कही जा सकती है कि तुमहारे सिवा किसी के लिये जाइज़ नहीं और यह सिर्फ़ इन ही पर मुनहसिर नहीं बल्कि बाद में जिसके लिये भी हुज़ूर फ़रमाते जाते सब के लिये हर मरतबा यह हुक्म तख़सीस सादिक़ आता।

(अल अमनो वल उला, स.179)

इद्दते वफ़ात सिर्फ़ तीन दिन मुतअय्यन फ़रमा दी

इस्लामी क़ानून यह है कि जिस औरत के शोहर का इन्तिक़ाल हो जाए और वह औरत हामिला न हो तो उसे चार महीना दस दिन इद्दत गुज़ारना होगी। क़ुरआने पाक में है : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ○

(सूरए बक़रह, आयत नं.234)

तर्जमा : और तुम में जो मरें और बीवियाँ छोड़ें वह चार महीना दस दिन अपने आपको रोके रहें। (कन्ज़ुल ईमान)

इस्लाम का यह हुक्म क़ियामत तक के लिये है मगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ख़ुसूसी इख़्तियार देखें कि आपने हज़रते अस्मा को इस हुक्म से मुस्तस्ना फ़रमाकर इद्दते वफ़ात सिर्फ़ तीन दिन मनाने का हुक्म दिया। इरशादे रसूल मुलाहज़ा हों।

हदीस नं. 34 तर्जमा : हज़रत असमा बिन्ते उमेस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है इनका बयान है कि जब (मेरे शोहर) हज़रत जअफ़र तैय्यार शहीद हो गए तो हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि तुम तीन दिन सिंगार से अलग रहो। (यानी तीन दिन इद्दत गुज़ार लो) फिर जो चाहो करो। (अत्तबक़ातुल कुबरा, स. 220/8, सही इब्ने हब्बान जि. नं. 7, हदीस नं. 418, 419. जि. नं. 13, हदीस नं. 3215)

हज़रत ख़ुज़ेमा की गवाही दो मर्दों के बराबर

ख़ुदाई क़ानून है कि किसी भी मुआमले की गवाही के लिये दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें ज़रूरी हैं। कुरआने मुक़द्दस में अल्लाह का इरशाद है। وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ○

(सूरए बक़रह आयत नं. 282)

तर्जमा : और दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें ऐसे गवाह जिनको पसन्द करो। (कन्ज़ुल ईमान)

यह हुक्म हमेशा के लिये है, मगर हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तन्हा हज़रत ख़ुज़ेमा की गवाही दो मर्दों के ब राबर फ़रमा दी हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं।

हदीस नं. 35 तर्जमा : हज़रत उमारा बिन ख़ुज़ेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि उनके चचा ने इनसे बयान किया कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आराबी (दिहाती) से घोड़ा ख़रीदा फिर हुज़ूर उसको अपने साथ लेकर चले ताकि उसे घोड़े की क़ीमत अदा कर दें हुज़ूर तो तेज़ी से चल रहे थे मगर आराबी धीरे धीरे आ रहा था रास्ते में कुछ लोगों ने आराबी से उस घोड़े का सौदा किया क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि हुज़ूर इस घोड़े को ख़रीद चुके हैं। आराबी ने वहीं से (पीछे से) हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आवाज़ लगाई कि आप मुझसे घोड़ा ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें वर्ना मैं इस घोड़े को बेच रहा हूँ। जब हुज़ूर ने उसकी आवाज़ सुनी तो आप वहीं ठहर गए और फ़रमाया, क्या मैंने तुझसे यह घोड़ा ख़रीद नहीं लिया है। आराबी बोला ख़ुदा की क़सम मैंने आपको नहीं बेचा हुज़ूर ने फ़रमाया यक़ीनन तूने मुझसे इसका सोदा कर लिया है। वह बोला अगर आपने ख़रीद लिया है तो गवाह पेश कीजिये। उस वक़्त हज़रत ख़ुज़ेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु

ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि आपने इससे घोड़ा ख़रीदा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़ुज़ेमा की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया, तुमने गवाही कैसे दी तुम तो उस वक़्त मौजूद नहीं थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं हुज़ूर की तस्दीक़ की बिना पर गवाही दे रहा हूँ। (यानी चूँकि मैंने आपके इरशाद पर आपकी रिसालत और ख़ुदा की वहदानियत की तस्दीक़ की इस लिये आज आपके इरशाद पर इस बात की गवाही भी दे दी) यह सुनकर हुज़ूर मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको इनआम अता फ़रमाया कि उनकी गवाही दो मर्दों की गवाही के ब राबर फ़रमा दी।

(अल मुस्तदरिक, स. 22/2, कन्ज़ुल उम्माल, स. 379/13)

रोज़े का कफ़्फ़ारा मुआफ़ फ़रमा दिया

इस्लामी क़ानून यह है कि अगर कोई रोज़े दार रोज़ा याद होते हुए, कुछ खा पी ले या बीवी से सोहबत कर ले तो उसे रोज़े की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा अदा करना होगा चूँकि रोज़े का कफ़्फ़ारा वही है जो कफ़्फ़ारए ज़िहार है जैसा कि कुरआने पाक में इरशाद हुआ :

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ○

(सूरए मुजादलह, आयत नं. 4)

तर्जमा : तो उन पर लाज़िम है एक बुर्दह (ग़ुलाम) आज़ाद करना क़ब्ल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। यह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। फिर जिसे बुर्दह (ग़ुलाम) न मिले तो लगातार दो महीने के रोज़े रखे, फिर जिससें रोज़े भी न हो सकें तो साठ मिस्कीनों का पेट भरना। (कन्ज़ुल ईमान)

यह क़ुरआनी हुक्म है मगर हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के लिये रोज़े का कफ़्फ़ारा

न सिर्फ़ मुआफ़ कर दिया बल्कि उन्हें इनआमो इकराम से भी नवाज़ दिया।

हदीस नं. 36 तर्जमा : हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि हम हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर थे कि एक शख़्स ने बारगाहे अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! मैं हलाक हो गया, फ़रमाया क्या हुआ ? अर्ज़ किया रोज़े की हालत में बीवी से कुरबत कर ली । फ़रमाया क्या तुम ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हो ? अर्ज़ किया नहीं, फ़रमाया मुसलसल दो महीने के रोज़े रख सकते हो ? अर्ज़ किया नहीं । फ़रमाया साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो ? अर्ज़ किया नहीं । इतने में हुज़ूर की ख़िदमत में खजूर की एक टोकरी लाई गई, हुज़ूर ने फ़रमाया, वह सवाल करने वाला कहाँ है ? उसने अर्ज़ किया मैं हाज़िर हूँ, फ़रमाया : इन्हें ले जाओ और ख़ैरात कर दो । अर्ज़ किया क्या अपने से ज़्यादा किसी मोहताज पर ? ख़ुदा की क़सम पूरे मदीनए तैयिबा में किसी घर के लोग हमारे घर वालों से ज़्यादा मोहताज नहीं हैं । हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर इस तरह मुस्कुराए कि आपके दन्दाने मुबारक ज़ाहिर हो गए फिर फ़रमाया अच्छा जाओ अपने घर वालों को खिला दो । (सही बुख़ारी, स. 259/1, सही मुस्लिम, स. 354/1, सुनने तिर्मिज़ी, स. 90,91/1, सुनने अबी दाऊद, स. 341, 342/1, सुनने इब्ने माजह, स. 21/1, अल मोअ्जमुल औसत, स. 366/2, अस्सुननुल कुबरा लिल बैहिक़ी, स. 221/4)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं मुसलमानो ! गुनाह का ऐसा कफ़्फ़ारा किसी ने भी सुना होगा सवा दो मन ख़ुर्मे (खजूरें) सरकार से अता होते हैं कि आप खा लो कफ़्फ़ारा हो गया । वल्लाह यह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे रहमत है कि सज़ा को इनआम से बदल दे, हाँ हाँ यह बारगाहे बेकस पनाह :

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ○ (सूरए फ़ुरक़ान, आयत नं,. 70)

तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा । (कन्जुल उम्माल) की ख़िलाफ़ते कुबरा है, उनकी एक निगाहे करम कबाइर को हसनात कर देती है जब तो अर्रहमुर्राहिमीन जल्ल जला लहू ने गुनाहगारों, ख़ताकारों, तबाहकारों को उनका दरवाज़ा बताया कि وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ ○ الْاٰيَة
(सूरए निसाअ, आयत नं. 64)

गुनाहगार तेरे दरबार में हाज़िर होकर मुआफ़ी चाहें और तू शफ़ाअत फ़रमाए तो ख़ुदा को तौबह क़ुबूल करने वाला महरबान पाएं वलहम्दु लिल्लाहि रब्बील आलमीन । (अल अमनो वल उला, स. 182)

जवानी में हुरमते रज़ाअत साबित फ़रमा दी

इस्लामी क़ानून यह है कि अगर दूध पीने के ज़माने में कोई बच्चा किसी औरत का दूध पीले तो वह औरत उस बच्चे की रज़ाई (दूध के रिश्ते की) मां हो जाएगी और उससे हमेशा के लिये निकाह हराम हो जाएगा । उस औरत का शौहर उस बच्चे का रज़ाई बाप होगा और उसकी औलाद उस बच्चे की रज़ाई भाई बहन हो जाएगी । लेकिन यह हुक्म सिर्फ़ मुद्दते रज़ाअत के दरमियान दूध पीने का है और मुद्दते रज़ाअत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक ढाई साल है । इस मुद्दत के बाद अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पीले या कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिला दे तो उससे दूध का रिश्ता साबित नहीं होगा । मगर हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ुसूसी इख़्तियार से हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु के लिये हुरमते रज़ाअत साबित फ़रमा दी

हदीस नं. 37 तर्जमा : हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, उनका बयान है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हज़रत सहला बिन्ते सुहैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर आईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! मेरे शौहर अबू हुज़ैफ़ा का आज़ाद कर्दा ग़ुलाम, सालिम जवान है और वह मेरे

सामने आता जाता है। (यानी ग़ैर मेहरम है, मुझे उस से पर्दा होना चाहिये, मैं उससे पर्दा नहीं करती हूँ इस लिये) अबू हुज़ैफ़ा को ना गवार गुज़रता है। मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उसे दूध पिला दो कि तुम्हारे पास बे पर्दा आना जाना जाइज़ हो जाए। अर्ज किया वह तो दाढ़ी वाला है। फ़रमाया तुम दूध पिला दो ताकि अबू हुज़ैफ़ा की ना गवारी ख़त्म हो जाए। चुनाँचे उन्होंने दूध पिला दिया। फिर फ़रमाती हैं, ख़ुदा की क़सम उसके बाद मैंने अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे में कभी ना गवारी के आसार नहीं देखे। (सही मुस्लिम, स. 469/1, सुनने नसई, स. 82/2, सुनने इब्ने माजह, स. 141/2, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 224/6, मजमउज़्ज़वाइद, स. 478/4, अल मोजमुल कबीर लित्तबरानी, स. 69/7)

इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं: जवान आदमी को अव्वल तो औरत को दूध पीना ही कब हलाल है और पिये तो उससे पिसरे रज़ाई (दूध के रिश्ते का बेटा) नहीं हो सकता, मगर हुज़ूर ने इन हुक्मों से सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुस्तस्ना फ़रमा दिया। व लिहाज़ा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा वग़ैरहा बाक़ी अज़वाजे मुतह्हरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन ने फ़रमाया : हमारा यही एतिक़ाद है कि यह रुख़सत हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ास सालिम के लिये फ़रमा दी थी। (अल अमनो वल उला, स. 183)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़े इशा में ताख़ीर फ़रमाई, हुज़ूर हुजरए मुक़द्दसा से तशरीफ़ न लाए। यहाँ तक कि लोग ऊँघने लगे फिर बैदार हुए, इसके बाद फिर बैठे बैठे सोने लगे फिर बैदार हुए, लोगों की यह कैफ़ियत देखकर हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ करते हुए नमाज़ के लिये निदा दी, या रसूलल्लाह नमाज़, अब हुज़ूर तशरीफ़ लाए तो सर से पानी के क़तरे टपक रहे थे, फ़रमाया : अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार न जानता तो इस नमाज़ को इतनी मुअख़्ख़र करके पढ़ता।

(सही बुख़ारी, स.81/1, सही मुस्लिम, स.229/1)

हज़रत अली को दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं दी

इस्लामी उसूल के मुताबिक़ अगर ज़रूरत हो तो मर्द बयक वक़्त चार औरतें अपने निकाह में रख सकता है क़ुरआने पाक में ख़ुदा का इरशाद है : فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ۝ (सूरए निसाअ, आयत नं. 3)

तर्जमा : तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें ख़ुश आएं दो दो और तीन तीन और चार चार फिर अगर डरो कि दो बीबियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो। (कन्ज़ुल ईमान) और यह क़ानून हर एक फ़र्द के लिये है, किसी के लिये कोई ख़ुसूसियत नहीं मगर हुज़ूर मुख़्तारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा की मौजूदगी में हज़रत अली को दूसरे निकाह की इजाज़त नहीं दी। हदीसे पाक मुलाहज़ा फ़रमाएं।

हदीस नं. 38 तर्जमा : हज़रत मिस्वर बिन मख़रमह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि मैंने रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बयान करते हुए सुना, सरकार मिंबर पर से इरशाद फ़रमा रहे थे कि बनी हाशिम इब्ने मुग़ीरह मुझसे अपनी बेटियाँ अली बिन अबी तालिब को ब्याहने की इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, हाँ अगर अली बिन अबी तालिब चाहें तो मेरी बेटी को तलाक़ दे दें फिर उनसे निकाह कर लें, क्योंकि फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। क्यूँकि जिस बात से फ़ातिमा बेचेन होंगी उससे मैं बे क़रार हो जाऊंगा और जिससे फ़ातिमा को तकलीफ़ होगी उससे मुझे ईज़ा होगी। (बुख़ारी शरीफ़, स.787/2)

दो मर्दों को रेशमी लिबास जाइज़ फ़रमा दिया

इस्लामी उसूल के मुताबिक़ मर्दों के लिये रेशमी लिबास हराम है, यह हुक्म दायमी है जो क़यामत तक के लिये है लेकिन शारेए

इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह ख़ुसूसी इख़्तियार है कि आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को रेशमी लिबास पहनने की इजाज़त अता फ़रमाई। हदीसे पाक मुलाहज़ा हो।

हदीस नं. 39 तर्जमा : हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि नबिय्ये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बदन में खुजली होने की वजह से उन दोनों हज़रात को रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी।

(सुनने अबी दाऊद, स. 214/2)

हुज़ूर बशीरो नज़ीर हैं

हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम लाते ही हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया : बेशक हम हुज़ूर की सिफ़त तोरात में पाते हैं। ऐ नबी ! यक़ीनन हमने तुझे भेजा गवाह और अपनी उम्मत के तमाम अहवालो अफ़आल पर मुत्तलअ् और ख़ुश ख़बरी देता, और डर सुनाता। बेशक आप बे पढ़ों की जाए पनाह हैं आप मेरे बन्दे और रसूल हैं। मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा, आप न लोगों पर सख़्त हैं और न दुरुश्त रू, न बाज़ारों में आवाज़ बलन्द करने वाले, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि दर गुज़र और मुआफ़ कर देते हैं, मैं उस नबी को न उठाऊँगा यहाँ तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, और इस नबी के ज़रीए से अंधी आँखें और बहरे कान और ग़िलाफ़ चढ़े दिल खुल जाएँगे।

(दलाइलुन्नुबुव्वत लिल बैहिक़ी, 376/1)

सोने की अंगूठी जाइज़ फ़रमा दी

अल्लाह व रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान मर्दों पर सोने का ज़ेवर पहनना हराम फ़रमाया है लेकिन रसूले मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ुसूसी इख़्तियार से हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिये सोने की अंगूठी की पहनना जाइज़ फ़रमा दिया। हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं।

हदीस नं. 40 तर्जमा : हज़रत मुहम्मद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि मैं ने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु को सोने की अंगूठी पहने देखा, हालांकि लोग उनसे कहते थे कि जब हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है तो आप सोने की अंगूठी क्यों पहनते हैं। हज़रत बरा ने जवाब दिया कि हम हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे और आप के सामने अमवाले ग़नीमत, ग़ुलाम और दूसरा सामान मौजूद था जिसे हुज़ूर तक़सीम फ़रमा रहे थे, जब सब सामान बट गया और यह अंगूठी बाक़ी रह गई तो आपने नज़रे मुबारक उठाकर अपने सहाबा को देखा, फिर निगाह नीची कर ली, फिर दुबारा नज़र उठाकर देखा और फिर निगाह नीची कर ली, फिर नज़र उठा कर देखा और मुझे बुलाया ऐ बरा ! (इधर आओ) मैं हुज़ूर के सामने आकर बैठ गया, फिर अंगूठी हाथ में ली और मेरी कलाई थाम कर फ़रमाया ले पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाहो रसूल पहनाते हैं। रावी मुहम्मद बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि लोगों के एतिराज़ के जवाब में हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते थे कि आप लोग मुझसे उस अंगूठी को उतारने के लिये कहते हैं जिसे मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर पहनाया था कि ले पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाह व रसूल पहनाते हैं। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल)

सोने के कंगन जाइज़ कर दिये

हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया : वह वक़्त तेरा कैसा होगा जब तुझे किसरा, बादशाहे ईरान के कंगन पहनाए जाएंगे। जब अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ईरान फ़तह हुआ और किसरा के कंगन ख़िदमते फ़ारूक़ी में हाज़िर किये गए, अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें पहनाए और फ़रमाया अपने दोनों हाथ उठाकर नारए तकबीर बलन्द करो, और यह कहो सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जिसने बादशाहे ईरान किसरा बिन हरमुज़ से यह कंगन छीन कर देहात में रहना वाले सुराक़ा को पहनाए। (शरहुज़्ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब, स. 145/2)

उर्स में औरतों की हाज़री

अर्ज़ : हुज़ूर बुज़ुरगाने दीन के उर्स में जो नाजाइज़ काम होते हैं उनसे इन हज़रात को तकलीफ़ होती है ?

इरशाद : बिला शुबह (इन हज़रात को तकलीफ़ होती है) और यही वजह है कि इन हज़रात ने भी तवज्जोह कम फ़रमा दी वर्ना पहले जिस क़दर फ़्यूज़ होते थे वह अब कहाँ ? इमाम क़ाज़ी से पूछा गया कि औरतों का मज़ारात को जाना कैसा है जाइज़ है या नहीं फ़रमाया ऐसी जगह जाइज़ और नाजाइज़ नहीं पूछते यह पूछो कि इसमें औरत पर कितनी लअ़नत पड़ती है।

(1) जब घर से क़ुबूर की तरफ़ चलने का इरादा करती है अल्लाह और फ़रिश्तों की लअ़नत में होती है (2) जब घर से निकलती है सब तरफ़ से शयातीन उसे घेर लेते हैं (3) जब क़ब्र तक पहुँचती है मय्यत की रूह उस पर लअ़नत करती है (4) जब वापस आती है अल्लाह की लअ़नत में होती (फ़तावा रज़विया 173/4)

हज़रत मुआज़ को हदिया हलाल फ़रमा दिया

क़ानूने इस्लामी के मुताबिक़ क़ाज़िये इस्लाम (चीफ़ जस्टस) को अवाम के हदिये क़ुबूल करने की इजाज़त नहीं, उन्हें हदिया क़ुबूल करना हराम है जैसा कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आमिलों के लिये हदिये बिल्कुल हराम हैं। (कन्ज़ुल उम्माल, स. 44/6 हदीस नं. 15064)

यूँ ही हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, इनका बयान है कि हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : आमिलों को हदिये वसूल करना ख़यानत है। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 495/5, मजमउज़्ज़वाइद, स. 449/5)

यह हुक्म आम है जिसमें तमाम क़ाज़ी और तमाम आमिलीने इस्लाम शामिल हैं, लेकिन नबिये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ओहदए क़ज़ा पर मामूर फ़रमाया तो ख़ास उनके लिये अवाम के हदाया क़ुबूल करने की इजाज़त मरहमत फ़रमा दी। हदीस मुलाहज़ा हो।

हदीस नं. 41 : हज़रत उबैदुल्लाह बिन सख़्र अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है उनका बयान है कि जब हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का क़ाज़ी बनाकर भेजा तो फ़रमाया, तुम पर दीन के मुआमले में जो आज़माइशें हुई हैं, मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मक़रूज़ हो गए हो, लिहाज़ा मैंने तुम्हारे लिये लोगों के हदिये हलाल कर दिये। अगर तुम्हें कोई चीज़ हदयतन् दी जाए तो तुम क़ुबूल कर लेना। रावी हज़रत उबैद कहते हैं कि जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन से सुबुक दोश होकर वापस आए तो आपके पास तीस ग़ुलाम थे जो उन्हें हदिये में दिये गए थे।

(अल इसाबा फ़ी तमयीज़िस्सहाबा, स. 154/5, कन्ज़ुल उम्माल, स. 45/6 हदीस नं. 15082)

दो वक़्त की नमाज़ पढ़ने की शर्त पर मुसलमान कर लिया

यह बात तो हर मुसलमान जानता है कि हर मुसलमान को पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ना चाहिये और यह ऐसा फ़र्ज़ है कि हर आक़िलो बालिग़ मुसलमान पर या इस्लाम क़ुबूल करने के बाद आईद होता है और मरते दम तक बाक़ी रहता है और यह हुक्म क़ियामत तक जारी है, हर ईमान वाला इसे जानता और मानता है लेकिन यह रसूले मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख़्तियार ही है कि आपने एक शख़्स को इस शर्त पर मुसलमान कर लिया कि वह दो वक़्त ही की नमाज़ पढ़ेगा। चुनाँचे हदीसे पाक मुलाहज़ा हो।

हदीस नं. 42 तर्जमा : हज़रत नस्र बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक साहिब हुज़ूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर इस शर्त पर इस्लाम लाए कि वह सिर्फ़ दो नमाज़ें ही पढ़ेंगे। हुज़ूर मुख़्तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस क़ुबूल फ़रमा लिया। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 33/5)

हुज़ूर मदद फ़रमाते हैं

उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहो अन्हा से रिवायत है, उनका बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू ख़ाने में फ़रमाते सुना : मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। आपने तीन मर्तबा फ़रमाया, फिर फ़रमाया मैंने मदद की, मैंने मदद की, मैंने मदद की। जब सरकार वुज़ू से फ़ारिग़ होकर बाहर तशरीफ़ लाए, मैंने अर्ज़ किया : हुज़ूर क्या वाक़िआ पैश आया। फ़रमाया बनू कअब का गिड़ गिड़ाना सुनकर मैंने यह जुम्ले कहे। क्यूँकि वह चीख़ चीख़ कर मुझसे फ़रियाद कर रहे थे और यह समझ बैठे कि क़ुरैशे मक्का ने उनके मुक़ाबले में बनू बक्र की इआनत की। (ज़रक़ानी अलल मवाहिब, स. 108/6)

शराब वग़ैरह की बैअ हराम फ़रमाई

शराब पीना हराम है, इसकी हुरमत क़ुरआने करीम से साबित है लेकिन शराब का बेचना और ख़रीदना कैसा है इसकी वज़ाहत क़ुरआने पाक में मौजूद नहीं है यूँ ही मुरदार और ख़िन्ज़ीर का गोश्त हराम है जिसका ज़िक्र क़ुरआने पाक में मौजूद है लेकिन इनकी बैअ (ख़रीदो फ़रोख़्त) से मुतअल्लिक़ कुछ सराहत नहीं है। इसकी हुरमत का हुक्म नबिय्ये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सादिर फ़रमाया जिससे यह बात साबित हो गई कि हुज़ूर सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी भी शै के हरामो हलाल करने के मुख़्तार हैं। चुनाँचे हदीस में है।

हदीस नं. 43 तर्जमा : हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, उनका बयान है कि मैंने फ़तहे मक्का के दिन हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब, मुरदार ख़िन्ज़ीर और बुतों की ख़रीदो फ़रोख़्त हराम फ़रमा दी। (सही बुख़ारी, स. 298/1, सही मुस्लिम, स. 23/2, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, स. 397/3 सुनने कुबरा लिल बैहिक़ी, स. 12/6)

दो क़िस्म के हुक़ूक़

बन्दों पर दो क़िस्म के हुक़ूक़ आइद होते हैं (1) हुक़ूक़ुल्लाह (2) हुक़ूक़ुल इबाद। इन दोनों की अदायगी ज़रूरी है लेकिन इनमें हुक़ूक़ुल इबाद बहुत अहम हैं इसलिये कि ख़ुदाए तआला अपने फ़ज़्लो करम से अगर चाहे तो अपने हुक़ूक़ मुआफ़ फ़रमा दे लेकिन बन्दों के हुक़ूक़ को अल्लाह तआला हरगिज़ मुआफ़ नहीं फ़रमाएगा जब तक कि वह बन्दे मुआफ़ न कर दें जिनके हुक़ूक़ इस पर आइद हैं लिहाज़ा हुक़ूक़ुल्लाह के साथ हुक़ूक़ुल इबाद अदा करने की पूरी कोशिश करो वर्ना क़ियामत के दिन सख़्त अज़ाब में गिरफ़्तार होंगे।

हर नशीली चीज़ हुज़ूर ने हराम फ़रमाई

शराब की मुमानअत कुरआने करीम से साबित है लेकिन शराब के अलावा भी कई चीज़ें हैं जिनमें नशा होता है जिनकी हुरमत का ज़िक्र कुरआने करीम में मौजूद नहीं है। उन सब नशीली चीज़ों को हुज़ूर नबिये मुख़्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हराम फ़रमाया है जो आपके मालिको मुख़्तार होने की वाज़ेह दलील है।

हदीस नं. 44 : हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उनका बयान है कि हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नशादार चीज़ें मत पियो क्यों कि मैंने हर नशीली चीज़ को हराम फ़रमा दिया है। (सुनने नसई, स.325/2, कन्ज़ुल उम्माल, स. 136/5, हदीस नं. 13146)

क़ारेईन किराम ! हुज़ूर नबिय्ये करीम मुख़्तारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुसूसी इख़्तियारात से मुतअल्लिक़ बहुत सी आयतें कुरआने पाक में मौजूद हैं यूँ ही बे शुमार हदीसे हैं जो कुतु बे अहादीस में आपको मिल जाएंगी। हमने यहाँ सिर्फ़ दस आयाते करीमा और मोज़ू से मुतअल्लिक़ मुतअद्दिद कुतुबे अहादीस ख़ुसूसन सय्यिदुना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा बरैलवी रज़िया अन्हु रब्बुहुल क़वी की तस्नीफ़े लतीफ़ अल अमनो वल उला लिना अतिल मुस्तफ़ा बि दाफ़िइल बला से इस्तिफ़ादा करते हुए सिर्फ चालीस अहादीसे तैय्यिबा नक़्ल कर दी हैं। मौला तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हमारे ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमाए और हम सबको अक़ाइदो मस्लके अहले सुन्नत व जमाअत यानी मस्लके आला हज़रत अलम बरदार बनाए और उसी के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने और इसी पर जीने मरने की तौफ़ीक़े रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि हबीबिही सय्यिदिनल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम O

तम्मत बिल ख़ैर